

**MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK**

Copy of extract of Reso. No. 13 of the Executive Council's meeting  
held on 31.12.2019

**13. Instructions of the State Government regarding Compassionate Assistance to the dependent of deceased University employees**

Considered the proposal that the Chapter-34 "Compassionate Assistance to the dependent of deceased University employees" in University Calendar Volume-IV may be amended in terms of the instructions issued by the Chief Secretary to Government Haryana vide letter No. 07/05/2018-1GSII dated 19<sup>th</sup> September, 2019 (Annexure A/11 pages 71-97, already circulated).

**RESOLVED THAT THE INSTRUCTIONS OF THE STATE GOVERNMENT AS ABOVE BE ADOPTED.**

**RESOLVED FURTHER THAT THE VICE-CHANCELLOR BE AUTHORIZED TO ADOPT THE INSTRUCTIONS OF THE STATE GOVERNMENT RECEIVED FROM TIME TO TIME IN THIS REGARD.**

[ACTION BY A.R.(ESTT.-NT)]

**ESTABLISHMENT BRANCH (N.T.)**

Endst. No. EN-4/2020/M-156(III) 846-966 dated 16-1-2020

Copy of the above, along with its enclosure, is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Dean's/Director's, Maharshi Dayanand University, Rohtak.
2. All HODs/ Branch Officers, Maharshi Dayanand University, Rohtak.
3. Director, M.D.U. Centre for Professional & Allied Studies, Gurugram.
4. Finance Officer, Maharshi Dayanand University, Rohtak.
5. Assistant Registrar, Academic Branch, Maharshi Dayanand University, Rohtak with the request to arrange to incorporate the Calendar Volume-IV.
6. OSD to Vice-Chancellor/ Registrar/ Controller of Examinations(for kind information of the Vice-Chancellor/Registrar/ Controller of Examinations), Maharshi Dayanand University, Rohtak.
7. President M.D.U. Teaching and Non-Teaching Employees Association, Maharshi Dayanand University, Rohtak.
8. All Dealing hands (Estt. NT), Maharshi Dayanand University, Rohtak.

D.A. As above.

*Devi* 16/01/2020  
Superintendent(Estt. NT)

**भाग—III****हरियाणा सरकार**

सामान्य प्रशासन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 2 अगस्त, 2019

**संख्या सांकांनि० 32/संवि०/अनु० 309/2019.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है या गुमशुदा हो जाता है, के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
- (2) ये नियम 1 अगस्त, 2019 से लागू हुए, समझे जाएंगे।
2. इन नियमों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति प्रदान करना है जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या गुमशुदा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय संकट में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत देना है। नियमों का उद्देश्य।
3. अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, ये नियम नियमित आधार पर कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पात्र सदस्य (सदस्यों) को लागू होंगे, जो सेवा में रहते हुए गुमशुदा हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। इसमें आत्महत्या द्वारा मृत्यु भी शामिल है। लागूकरण की सीमा।
- टिप्पण 1.—** मृतक सरकारी कर्मचारी, जिसकी मृत्यु इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले हो गई थी, किन्तु उसके परिवार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक या अन्य कारण से अनुकंपा वित्तीय सहायता की स्वीकृति अभी तक नहीं की गई है, तो वे इस अधिसूचना की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर या तो हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा सहायता नियम, 2006 या इन नियमों के अधीन लाभ लेने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। एक बार किया गया विकल्प अन्तिम होगा।
- टिप्पण 2.—** जहां नियमित आधार पर किसी पद पर उसकी नियुक्ति से पूर्व हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा चयनित व्यक्ति के लिए कोई प्रशिक्षण अनिवार्य है, तो ये नियम प्रशिक्षण अवधि के दौरान भी लागू होंगे।
- टिप्पण 3.—** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पात्र परिवार के सदस्य या तो इन नियमों के अधीन या सेवा में रहते हुए मृत्यु या गुमशुदा होने के समय पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार को लागू नियमों/नीति के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- टिप्पण 4.—** अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इसके संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।
- टिप्पण 5.—** अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मामले में, समय-समय पर, यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।
4. (1) इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता इस शर्त के अधीन होगी कि मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की,—
  - (i) नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए;
  - (ii) मृत्यु या गुमशुदा होने की तिथि तक बावन वर्ष या उससे अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए; तथा
  - (iii) कपट करने या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने या विदेश जाने का संदेह नहीं होना चाहिए;
 अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्यों की पात्रता।

**व्याख्या—** पांच वर्ष की सेवा में नियमित आधार पर कार्यरत रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत और मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के अवकाश की अवधि शामिल है।

(2) अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा और इन नियमों के अधीन ऐसी नियुक्ति यथा अधिकथित रिक्ति की उपलब्धता सहित सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।

परिभाषाएं।

5. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनुकंपा वित्तीय सहायता” से अभिप्राय है, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर मासिक सहायता, जो किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या गुमशुदा हो जाता है, के पात्र परिवार के सदस्य (सदस्यों) को भावी सदाचरण के अधीन, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय है;

(ख) अनुकंपा नियुक्ति से अभिप्राय है मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के एक पात्र परिवार के सदस्य की सेवा में रहते हुए मृत्यु या गुमशुदा के समय पर मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के कार्यात्मक वेतन स्तर से निम्न स्तर वाले ग्रुप ग या घ के पद पर नियुक्ति;

(ग) मृतक सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय है कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी नियमित आधार पर सेवा में कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो जाती है;

(घ) “आश्रित” से अभिप्राय है, कोई पारिवारिक सदस्य, जिसकी सभी स्रोतों से कुल आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित मंहगाई राहत की धन राशि से कम है;

**टिप्पण.—** माता-पिता भी सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में समझे जाएंगे, यदि उनकी संयुक्त आय, समय-समय पर, विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत से कम है। अविवाहित, अशक्त सहोदर (भाई/भाईयों और बहन/बहनों) भी सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में समझे जाएंगे, यदि उनकी आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा मंहगाई राहत से कम है;

(ङ) “परिवार के पात्र सदस्य” से अभिप्राय है, प्राथमिकता के क्रम में वित्तीय सहायता या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाला मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी या परिवार का आश्रित सदस्य;

(च) अनुकंपा वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु “परिवार” से अभिप्राय है —

(i) (क) पुनः विवाह या मृत्यु, जो भी पहले हो, की तिथि तक विधवा (विधवाएं, जहां कहीं स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है) या विधुर;

(ख) मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति, बशर्ते ऐसा पृथक्करण जारकर्म के आधार पर प्रदान नहीं किया गया है तथा जीवित व्यक्ति जारकर्म करने का दोषी नहीं ठहराया गया था;

(ग) मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की निःसन्तान विधवा, जिसने पुनः विवाह नहीं कर लिया है, बशर्ते सभी अन्य स्रोतों से उसकी स्वावलम्बी आय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर मंहगाई राहत से कम हो। ऐसे सभी मामलों में, उससे प्रत्येक छह मास में एक बार कार्यालयाध्यक्ष को सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय संबंधी घोषणा देने के लिए अपेक्षा की जाएगी;

(ii) उपरोक्त (i) में असफल रहने पर, पच्चीस वर्ष की आयु तक ज्येष्ठ अविवाहित तथा आश्रित पुत्र (पुत्रों) या पुत्री (पुत्रियां);

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) में असफल रहने पर, आश्रित ज्येष्ठ तलाकशुदा या विधवा पुत्री (पुत्रियाँ) पच्चीस वर्ष की आयु तक, उसके विवाह/पुनः विवाह की तिथि तक या ऐसी तिथि तक वह जीविका के लिए कमाना शुरू कर देती है, जो भी पहले हो, बशर्ते वह अनुकंपा वित्तीय सहायता हेतु अन्य वर्तमान पारिवारिक सदस्य की पात्रता की समाप्ति की तिथि से पूर्व विधवा हो गई है या उसे तलाक दे दिया है;

- (iv) उपरोक्त (i) से (iii) में असफल रहने पर, पच्चीस वर्ष की आयु से ऊपर की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों में से आश्रित ज्येष्ठ पुत्री, उसके विवाह/पुनः विवाह की तिथि तक या ऐसी तिथि तक जब वह जीविका के लिए कमाना शुरू कर देती है, जो भी पहले हो। विधवा/तलाकशुदा पुत्री की दशा में, वह अनुकंपा वित्तीय सहायता हेतु, अन्य पारिवारिक सदस्य की पात्रता की समाप्ति की तिथि से पूर्व विधवा/तलाकशुदा हो गई है;
- (v) उपरोक्त (i) से (iv) में असफल रहने पर, पुत्र तथा पुत्री की आयु पर विचार किए बिना, जो मन विकार या अशक्तता या शारीरिक रूप से विकलांगता या अशक्तता से ग्रस्त है, बशर्ते वे सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, जब वह जीवित था;
- (vi) उपरोक्त (i) से (v) में असफल रहने पर, माता-पिता, जो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, जब वह जीवित था बशर्ते उनकी वर्तमान संयुक्त आय, समय-समय पर, विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर मंहगाई राहत से कम है;
- (vii) उपरोक्त (i) से (vi) में असफल रहने पर, अविवाहित शारीरिक रूप से अशक्त सहोदर (भाई तथा बहन) बशर्ते वे पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, जब वह जीवित था।

**टिप्पण 1.—** इस नियम के प्रयोजन के लिए, "विधवा" से अभिप्राय है, मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

**टिप्पण 2.—** पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक विधिक तलाक नहीं होगा।

**टिप्पण 3.—** पुत्र या पुत्री में सरकारी कर्मचारी द्वारा हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, जो अपने माता-पिता के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हैं किन्तु इसमें सौतेले बच्चे शामिल नहीं हैं।

**टिप्पण 4.—** यह उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा, जो अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है (पुत्र, पुत्री, माता-पिता, भाई-बहन या अभिभावक, जैसी भी स्थिति हो), एक वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष मार्च या सितम्बर मास में संवितरण प्राधिकारी को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह/उसने आजीविका कमाना शुरू नहीं किया है। एक समरूप प्रमाण-पत्र पुनः विवाह करने के बाद निःसंतान विधवा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(छ) अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन हेतु 'परिवार' से अभिप्राय है,—

- (i) विधवा या विधुर;  
टिप्पण:— न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति, शेष पात्र परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए परिवार का सदस्य नहीं होगा।
- (ii) दत्तक बच्चों सहित बच्चे, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग या संगठन में पहले से सेवा में नहीं हैं;
- (iii) केवल अविवाहित मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के मामले में आश्रित भाई और बहन।

टिप्पण :- जहां एक से अधिक विधवा हैं, न तो जीवित विधवा (विधवाओं) और न ही मृतक और जीवित विधवा (विधवाओं) के बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति के परियोजन के लिए परिवार में शामिल किया जाएगा।

टिप्पण 2:- इन नियम के प्रयोजन हेतु, "विधवा" से अभिप्राय है, मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

टिप्पण 3:-पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक, विधिक तलाक नहीं होगा।

टिप्पण 4:-पुत्र या पुत्री में सरकारी कर्मचारी द्वारा हिन्दू विधि या स्वीप विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, जो अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं तथा पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हैं, किन्तु इसमें सौतेले बच्चे शामिल नहीं हैं।

- (ज) “सरकार” से अभिप्राय है, सामान्य प्रशासन विभाग में हरियाणा सरकार;
- (झ) “सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, राज्य सेवा ग्रुप क, ख, ग या घ के सदस्य जिसकी—
- (i) सेवा की शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित हैं;
- (ii) हरियाणा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में नियमित आधार पर नियुक्ति की गई है; तथा
- (iii) हरियाणा राज्य की समेकित निधि से वेतन विकलित है, सिवाय जब विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो, किन्तु इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नहीं हैं—
- (1) आकस्मिक या दैनिक-दर या अंशकालिक नियोजन;
- (2) आकस्मिकता/आकस्मिक प्रभारों से भुगतान प्राप्त;
- (3) वर्क-चार्जड स्थापना;
- (4) संविदा या तदर्थ आधार पर नियुक्त; तथा
- (5) सेवानिवृत्ति उपरान्त नियुक्ति;
- (ञ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, “शहीद सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार का कोई पुलिस कर्मचारी या कोई सिविल कर्मचारी जो नियमित रूप से कार्यरत रहा हो, जो बहादुरी और असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कारवाई में मारा जाता है;
- (ट) “गुमशुदा सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, कोई सरकारी कर्मचारी, जो नियमित आधार पर कार्यरत रहते हुए—
- (क) अचानक गुमशुदा हो जाता है और जिसका पता नहीं चलता है;
- (ख) तीर्थ यात्रा, यात्रा आदि के दौरान गुमशुदा होने की सूचना पुलिस के माध्यम से दी जाती है; या
- (ग) विद्रोहियों/आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है;
- (ठ) “सेवा के दौरान” से अभिप्राय है, सेवा की अवधि के दौरान, किन्तु अधिवर्षिता की आयु होने से पूर्व;
- अपवाद:- एचसीएमएस डॉक्टरों या किसी अन्य कार्मिक के मामले में, जहां अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष से अधिक है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि के प्रयोजन के लिए अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष समझी जाएगी।

(2) इन नियमों में अपरिभाषित किन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित शब्दों का इन नियमों के प्रयोजन के लिए वही अर्थ तथा भाव होगा।

अनुकंपा वित्तीय सहायता देने की अवधि।

6. अनुकंपा वित्तीय सहायता, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के आगामी दिन से ऐसे पात्र परिवार के सदस्य को निम्नलिखित अवधि के लिए या ऐसी सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की तिथि तक, जो भी पहले हो, अनुज्ञेय होगी। मृत्यु के मामले में,—

1	पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व	पात्रता के अध्यधीन, पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए
2	पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने पर किन्तु अड़तालीस वर्ष से पूर्व	पात्रता के अध्यधीन बारह वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता या साठ वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि तक, जो भी पहले हो

3	अड़तालीस वर्ष या से अधिक की आयु पूरी करने पर	पात्रता के अध्याधीन सात वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता या साठ वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि तक, जो भी पहले हो।
---	--	---

टिप्पण.— हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन पारिवारिक पेंशन, जहां लागू हो, अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि पूरी होने के तुरन्त बाद, आगामी तिथि से मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए अनुज्ञेय होगी।

7. (1) सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या गुमशुदा होने के मामलों में, नियमित आधार पर न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के अध्याधीन बावन वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, पात्र परिवार का सदस्य, अनुकंपा वित्तीय सहायता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प चुन सकता है।

ग्रुप ग या घ के पद पर अनुकंपा नियुक्ति।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्तियां केवल ग्रुप ग या ग्रुप घ पद तक ही सीमित रहेंगी।

(3) मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की स्थिति या पात्र परिवार के सदस्य की उच्चतर योग्यता, अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विचारी नहीं जाएगी।

(4) प्रदान की जा रही अनुकंपा नियुक्ति, उन मामलों को छोड़कर, जहां मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी ग्रुप घ पद में निम्नतर स्तर पर कार्यरत था, मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा धारण अन्तिम पद के वृत्तिमूलक स्तर या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर या वृत्तिमूलक स्तर से उच्चतर किसी अन्य स्तर से कम से कम एक निम्न स्तर के किसी पद पर की जाएगी।

**व्याख्या 1:**— मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद का वृत्तिमूलक वेतन स्तर—12 है (वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन 7600 का समरूप), तो अनुकंपा नियुक्ति ग्रुप ग के पद पर की जाएगी, किन्तु पात्रता और योग्यता और विभाग में रिक्ति की उपलब्धता पर भी निर्भर रहते हुए लिपिक के पद से निम्न पद पर नहीं।

**व्याख्या 2:**— मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद का वृत्तिमूलक वेतन स्तर—6 है (वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन 4200 का समरूप), तो अनुकंपा नियुक्ति 4200 के ग्रेड वेतन के वृत्तिमूलक स्तर के निम्न ग्रुप ग के किसी पद पर की जाएगी, किन्तु पात्र परिवार के सदस्य की पात्रता और योग्यता और विभाग में रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए लिपिक के पद से निम्न पद पर नहीं।

**व्याख्या 3:**— मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद का वृत्तिमूलक वेतन स्तर—6 (वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन 4200 का समरूप) है, किन्तु वेतन सुनिश्चित जीविका प्रगति—11 (सुनिश्चित जीविका प्रगति ग्रेड वेतन 4800 का समरूप) में प्राप्त किया जा रहा था, तो अनुकंपा नियुक्ति अन्तिम धारित पद के वृत्तिमूलक स्तर से निम्न ग्रुप ग के किसी पद पर की जाएगी, किन्तु पात्र परिवार के सदस्य की पात्रता और योग्यता और विभाग में रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए लिपिक के पद से निम्न पद पर नहीं।

**व्याख्या 4:**— मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी ग्रुप घ का पद धारण कर रहा था और वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन 1650 से समरूप वृत्तिमूलक वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहा था, तो अनुकंपा नियुक्ति, वृत्तिमूलक स्तर में ग्रुप घ के किसी पद पर की जाएगी।

8. (क) मृतक या शहीद सरकारी कर्मचारी का परिवार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से छह मास के भीतर विहित प्ररूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विभागाध्यक्ष को आगे भेजने हेतु प्रस्तुत करेगा, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय पर रोल पर था ;

अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया।

(ख) गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के मामले में गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के नहीं मिलने के बारे में पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट सहित पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से तीन मास की अवधि के बाद विहित प्ररूप में आवेदन परिवार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) सीएफए -2 (या शहीद सरकारी कर्मचारी के मामले में सीएफए -3) के रूप में प्रोफार्मा का उपयोग विभागों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है;

(घ) प्रत्येक विभाग एक या एक से अधिक कल्याण अधिकारी (अधिकारियों) को नामित कर सकता है जो मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को इन नियमों के अधीन अनुग्रपूर्वक अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में परिवार को सलाह देने और सहायता करने के लिए तुरंत निधन पर मिल सकते हैं। आवेदक को प्रथमतः व्यक्तिगत रूप में बुलाया जाएगा और उसके द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के बारे में सलाह दी जाएगी;

(ड) विभागाध्यक्ष, ऐसे पात्र परिवार के सदस्यों की सूची तैयार करेगा, जिन्होंने तीन मास की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन किए हैं और पूर्व मास के दौरान प्राप्त मामलों पर विचार करने के लिए प्रत्येक मास एक बार आवेदन की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। पात्र परिवार के सदस्यों के नाम गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि या के नहीं मिलने के सम्बन्ध में पुलिस की अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि के संदर्भ में व्यवस्थित किए जाएंगे। ये नाम मृत्यु की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए सूची में बने रहेंगे और विभाग द्वारा इन नियमों के अनुसार और इस प्रकार बनाई गई वरिष्ठता के अनुसार सख्ती से नियुक्तियां दी जाएंगी। इन नियमों के दृष्टिगत नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना है। आवेदक को मामले के तथ्यों को ठीक-ठीक समझने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो सम्बन्ध विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुनवाई भी दी जा सकती है;

(च) सूची में पात्र परिवार के सदस्यों के नाम की वैधता, मृत्यु या पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से चार साल बाद समाप्त हो जाएगी।

व्याख्या 1:— चार वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन हेतु, सरकार के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कारित लापरवाही के कारण किसी भी विलम्ब को निकाला जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार कारित बिलम्ब, ऐसी लापरवाही के कारण हुआ था न कि मामले की सामान्य प्रक्रिया के कारण हो;

(छ) जहां एक वर्ष की अवधि के भीतर पद की अनुपलब्धता के कारण पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है, ऐसे मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से विभागाध्यक्ष द्वारा पात्र परिवार के सदस्य (सदस्यों) के लिए अनुमोदित किया जाएगा, बशर्ते,—

(i) भविष्य के लिए पारिवारिक पेंशन को रोकने के संबंध में संबंधित खजाना अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा, यदि वह पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है;

(ii) परिवार पेंशन भुगतान आदेश, मूल रूप में, संबंधित खजाना अधिकारी से वापस प्राप्त किया जाएगा और इस संबंध में पूरी जानकारी के साथ प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को भेजा जाएगा;

(iii) पहले से प्राप्त की गई पारिवारिक पेंशन की राशि, यदि कोई हो, अनुकंपा वित्तीय सहायता की बकाया राशि से वसूल की जाएगी; तथा

(iv) यह प्रक्रिया नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी,—

अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि के पूरा होने के बाद, पात्र परिवार के सदस्य (सदस्यों) द्वारा विधिवत रूप से भरे गए पारिवारिक पेंशन के प्ररूप के साथ प्रस्ताव, पारिवारिक पेंशन की पुनः स्वीकृति के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा परिवार का सदस्य, जो उस समय पात्र हैं प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को भेजा जाएगा।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी।

9. (1) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, जहां मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी सेवा में था, पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए सक्षम है।

(2) गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार के अनुरोध पर विचार करते हुए, परिवार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि से न्यूनतम छह मास की समाप्ति के बाद, पुलिस अन्वेषण के परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा।

पदों का निर्धारण/ उपलब्धता।

10. (क) इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल नियमित आधार पर मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के मूल विभाग या किसी अन्य विभाग में की जाएगी, जहां इन नियमों के अधीन आवेदक इस पद के लिए पात्र और प्रयोजन को पूरा करने के लिए पद उपलब्ध है;

(ख) इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्तियां, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली ग्रुप ग प्रवर्ग में स्वीकृत पदों (सीधी भर्ती कोटा के अधीन आने वाले) के अधिकतम पांच प्रतिशत तक की जाएंगी तथापि, ग्रुप क प्रवर्ग के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वीकृत पदों के लिए ऐसी कोई प्रतिशतता नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या अन्यथा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रुप ग पदों के पांच प्रतिशत पदों को रोक सकता है, ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा ऐसे पदों को भरा जा सके;

(ग) अनुकंपा नियुक्ति के लिए चयनित किसी व्यक्ति को प्रवर्ग पर निर्भर रहते हुए, जिस से वह सम्बन्धित है, समुचित प्रवर्ग के विरुद्ध भर्ती रोस्टर में समायोजित किया जाएगा अर्थात् अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां /पिछड़े वर्ग/सामान्य।

11. इन नियमों के अधीन नियुक्ति को निम्नलिखित आवश्यकताओं के पालन से छूट दी गई है:— छूट।  
 (क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या रोजगार केन्द्र के अभिकरण के बिना भर्ती;  
 (ख) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने पर प्रतिबंध, यदि कोई हो।
12. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति शपथ पत्र के माध्यम से लिखित रूप में प्ररूप सी एफ ए-5 में वचनबद्धता देगा कि अन्य सभी सदस्यों का भरण-पोषण करेगा, जो सम्पूर्ण रूप से मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे, और यदि बाद में यह साबित हो जाता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है, या उसके द्वारा उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति तुरन्त समाप्त की जा सकती है। इस आशय की शर्त, उसके नियुक्ति पत्र में भी लगाई जाएगी। शपथ-पत्र के माध्यम से वचनबद्धता।
13. (क) एक बार मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में, किसी अन्य पद या विभाग के संबंध में पद के परिवर्तन का कोई अनुरोध ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि उसके द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं, तो आगे कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा। पद या विभाग में परिवर्तन के लिए कोई विधारणा या अनुरोध नहीं।  
 (ख) जब किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया है, तो विद्यमान परिस्थितियाँ, जिनके कारण ऐसी अनुकंपा नियुक्ति हुई, ऐसी नियुक्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी।
- इसलिए—
- (i) उसे भविष्य में उन्नति के लिए अपने सहयोगियों की तरह अपने करियर का प्रयास करना चाहिए और अनुकंपा के विचार पर किसी भी उच्चतर पद पर नियुक्ति के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए;  
 (ii) इन नियमों के अधीन की गई किसी भी नियुक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और अनुकंपा पर विचार के लिए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
14. (क) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर-वरिष्ठता, उनकी नियुक्ति की तिथि से उनके संबंधित संवर्ग में नियत की जा सकती है। सीधी भर्तियों/पदोन्नतियों के साथ उनका प्रक्षेप भी सीधी भर्ती की परस्पर-वरिष्ठता को भंग किए बिना उनकी नियुक्ति की तिथि से किया जा सकता है; वरिष्ठता।  
 (ख) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति की कार्यग्रहण करने की तिथि को उसकी नियमित नियुक्ति की तिथि के रूप में माना जाएगा।
15. (क) इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्तियाँ इस तरह से की जाएंगी कि पदों पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासन की दक्षता के रखरखाव की आवश्यकता के अनुरूप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, आयु और अनुभव रखते हैं; सामान्य।  
 (ख) अनुकंपा नियुक्ति को केवल इस आधार पर इनकार या विलम्ब नहीं किया जाएगा कि विभाग/कार्यालय में पुनर्गठन है। यह संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए कोई रिक्ति है और वह ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य और उपयुक्त पाया जाता है;  
 (ग) इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति में अधिशेष कर्मचारियों के विलयन और अस्थायी स्थिति के साथ या बिना दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण की पूर्व शर्त होगी;  
 (घ) मृतक सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य को कर्मचारी की मृत्यु के तीन मास के भीतर नियुक्ति के लिए आवेदन करना होगा। उसकी नियुक्ति के संबंध में मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार का दावा, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/गुमशुदगी, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर विचारा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमित नियोजन प्रदान करने वाला आश्रित नियोजन प्रदान करने के समय पर पात्रता मानदंड पूरा करता है;  
 (ङ) जहां सरकारी कर्मचारी के निधन पर बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे अनाथों की अनुकंपा नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक मृतक का एक बच्चा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए व्यस्कता/न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं कर लेता;  
 (च) उन मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय होगी, जिन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के उपबन्धों के अनुसार, इन नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति के अलावा प्रथम जनवरी, 2006 से पहले नियमित रूप से सेवा में प्रवेश किया था।

अनुग्रहपूर्वक  
अनुदान।

16. मासिक अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के अलावा, एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) या समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट राशि, पात्र परिवार के सदस्य (सदस्यों) को मृत्यु की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर रोटी कमाने वाले के नुकसान पर तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष इन नियमों की अनुसूची में यथा वर्णित संबंधित शीर्ष "2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम -2002 अन्य कार्यक्रम- (एक्स) उत्तराधिकारी को अनुग्रह अनुदान सरकारी कर्मचारियों के 79-अनुग्रहपूर्वक" के अधीन इस अनुदान को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

ग्रुप ग या घ  
कर्मचारी के  
ऋणों और  
अग्रिमों की  
वसूली  
अधित्यक्त  
करना।

17. (क) केवल ग्रुप ग या घ मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया ब्याज सहित ऋण और अग्रिमों की बकाया राशि, यदि कोई हो, अर्थात् विवाह अग्रिम, मोटर साईकिल अग्रिम, गेहूँ अग्रिम, त्योहार अग्रिम का अधित्यक्त किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

(ख) यदि किसी मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी ग्रुप ग या घ द्वारा लिया गया मकान निर्माण अग्रिम और कंप्यूटर अग्रिम ब्याज सहित अधित्यक्त किया जाएगा, बशर्ते मृत या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक जीवित सदस्य को नियोजित नहीं किया जाता है/गया था। लिया गया मकान द्वितीय अग्रिम या उस पर ब्याज, यदि कोई हो, को अधित्यक्त नहीं किया जाएगा;

(ग) केवल ग्रुप ग या घ मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया ब्याज सहित स्कूटर या मोटर साईकिल की बकाया राशि ब्याज सहित, यदि कोई है, अधित्यक्त किया जाएगा, जहां केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है और अन्य मामलों में नहीं;

(घ) सम्बन्धित विभाग के वृत्तिमूलक मुख्य शीर्ष-800-अन्य व्यय-ए-अपरिवर्तनीय ऋण बटटे खाता के अधीन वस्तु संहिता-"31- बटटे खाता ऋण/हानियां" से व्यय प्रभारित किया जाएगा।

बच्चों की शिक्षा  
भत्ता और  
शिक्षण शुल्क  
की प्रतिपूर्ति।

18. (1) मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी का परिवार 10+2 तक पहले दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता पाने का हकदार होगा या ऐसे समय तक जब तक मृतक सरकारी कर्मचारी को वास्तव में प्राप्त हुआ होता यदि वह जीवित हुआ होता, जो भी पहले हो, बशर्ते कि किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी विभाग या संगठन में मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति कार्यरत नहीं हो। इसके बाद सरकारी संस्थानों के शुल्क के बराबर ट्यूशन फीस और प्रयोगशाला फीस का भुगतान या वास्तव में भुगतान की गई, जो भी कम हो, पहले दो बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान में डिग्री स्तर तक पढ़ रहे हैं। बशर्ते बच्चे मेरिट के आधार पर उक्त कोर्स में प्रवेश लें और समय-समय पर आयोजित परीक्षा पास की हो। इस प्रयोजन के लिए परिवार को महाविद्यालय/संस्थान द्वारा दी गई मूल फीस रसीद उसकी प्रति पूर्ति के लिए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

(2) व्यय को संबंधित विभाग के वृत्तिमूलक मुख्य शीर्ष के अधीन वस्तु कोड- "79-एक्सप्रेसिया" से प्रभारित किया जाएगा।

फिक्सड  
मेडिकल भत्ता।

19. मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार, अनुकंपा वित्तीय सहायता के कार्यकाल के दौरान, नियत चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का लाभ उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो हरियाणा सरकार द्वारा अपने सेवारत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर विहित की जाए।

शहीद सरकारी  
कर्मचारी के  
परिवार को  
विशेष लाभ।

20. (1) शहीद सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार का एक सदस्य, इन नियमों के अधीन वित्तीय सहायता के अलावा, आवेदक की योग्यता और पद की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए ग्रुप ग या घ के फीडर पद पर नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

वह विभागाध्यक्ष, जहां शहीद कार्यरत था, को प्ररूप सी एफ ए-3 में छह मास के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु जहां शहीद के निधन पर बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे अनाथों की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक शहीद के एक बच्चे की सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए व्यस्यकता/न्यूनतम पात्र आयु नहीं हो जाती।

टिप्पण:- पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अनुज्ञात करने हेतु शहीद सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सेवा या अधिकतम आयु के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

21. (अ) विभिन्न परिस्थितियों में अनुकंपा वित्तीय सहायता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां निम्नानुसार होंगे:—
- अनुकंपा वित्तीय सहायता की परिलब्धियां।
- (1) ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां, उच्चतर समयमान वेतनमान के बदले में विशेष वेतन सहित अन्तिम प्राप्त मूल वेतन के बराबर होंगे, किन्तु मूल वेतन में अग्रिम या अतिरिक्त वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, का विलय नहीं होगी।
- टिप्पण 1.— अनुकंपा वित्तीय सहायता पर कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, तथापि, मृत्यु या गुमशुदा होने की तिथि से पहले मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय वेतन के पुनःनिर्धारण का लाभ, यदि कोई हो, दिया गया।
- टिप्पण 2.— हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतनमानों के सामान्य पुनरीक्षण पर, अनुकंपा वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए अपुनरीक्षित से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ अनुज्ञेय होगा।
- (2) निलंबन के दौरान मृत्यु के मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए निलंबन की तिथि से पहले प्राप्त किए गए मूल वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा। निलंबन की अवधि के दौरान आने वाली वेतनवृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, जब तक निलंबन की अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा कर्तव्य नहीं माना जाता है।
- (3) अंतिम वेतनवृद्धि या संचयी प्रभाव के बिना अंतिम वेतनवृद्धि की श्रृंखला को रोकने की शक्ति चालु रहने के दौरान मृत्यु के मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता, उस राशि के बराबर निर्धारित की जाएगी, जो मृतक सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय हुई होती यदि उस पर ऐसी शक्ति अधिरोषित नहीं हुई होती।
- (4) छुट्टी पर होने पर मृत्यु के मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता ऐसी राशि के बराबर निर्धारित की जाएगी, जो मृतक सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय हुई होती, यदि मृत्यु की तिथि को मृतक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर होता।
- (5) उक्त अवधि के उपचार के संबंध में अनधिकृत अवकाश लंबित अंतिम निर्णय से संबंधित अनुपस्थिति की अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में, अनुकंपा वित्तीय सहायता, अनुपस्थिति की तिथि से तुरंत पहले प्राप्त अंतिम परिलब्धियों के बराबर निर्धारित की जाएगी।
- (आ) अनुकंपा वित्तीय सहायता पर क्षतिपूरक भत्ते निम्नानुसार होंगे:—
- (i) समय-समय पर विहित दर पर/महंगाई भत्ता, नियत चिकित्सा भत्ता, यदि विकल्प चुना हो, पात्रता के अध्याधीन बच्चों के शिक्षा भत्ता अनुज्ञेय होंगे;
- (ii) दो साल की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता, मृत्यु से ठीक पहले या उस स्टेशन पर, जहां से अनुकंपा वित्तीय सहायता आहरित की जा रही है, जो भी कम हो, या सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर दो वर्ष की अवधि हेतु सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए, यदि पहले से ही कब्जा है, अनुज्ञेय होगा;
- (iii) इन नियमों के नियम 18 में उपबन्धों के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता;
- (iv) गैर-व्यवसाय भत्ता सहित कोई अन्य भत्ते, जो मृत्यु से पहले मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे, अनुकंपा वित्तीय सहायता के प्रयोजन से शामिल नहीं किए जाएंगे।
22. (1) (क) जहां पति और पत्नी दोनों हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन के कर्मचारी हैं; या
- (ख) पति या पत्नी अन्य सरकार का कर्मचारी हैं;
- (ग) पति या पत्नी हरियाणा या किसी अन्य सरकार के पेंशनर हैं;
- एक समय में पेंशन या पारिवारिक पेंशन या दोहरी सहायता के अतिरिक्त अनुकंपा वित्तीय सहायता की पात्रता।
- और दोनों या उनमें से कोई एक इन नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित है, हरियाणा के मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में अनुकंपा वित्तीय सहायता, मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य को अनुज्ञेय होगी। विहित अवधि के पूरा होने से पहले जीवित पति या पत्नी की मृत्यु या अपात्रता मामले में, मृत पेंशनर के संबंध में पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अनुकंपा वित्तीय सहायता एक साथ अगले पात्र परिवार के सदस्य को भुगतानयोग्य होगी।

(2) उपरोक्त उपनियम 1 (क) में निर्दिष्ट पति और पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में, दोनों मृतक सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता, पात्र परिवार के सदस्य (सदस्यों) के लिए अनुज्ञेय होगी। तथापि, दोनों मृतक सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा वित्तीय सहायता (प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर) के लिए कुल परिलब्धियों के निर्धारण के लिए, राज्य सेवाओं के उच्चतम वेतनमान के अधिकतम या समय-समय पर निर्धारित से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पण— इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को, राज्य सेवाओं का अधिकतम उच्चतम वेतन रुपये 2,24,100 है।

आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में अनुकंपा वित्तीय सहायता का नियमन।

**23.** (1) जहां परिवार का सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान मृत्यु की दशा में, अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध से या ऐसे अपराध को करने के लिए अवप्रेरित करने से आरोपित है, तो परिवार के अन्य पात्र सदस्य (सदस्यों) सहित ऐसे सदस्य का अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का दावा, तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसके विरुद्ध संस्थित आपराधिक कार्रवाईयां समाप्त न हो जाएं।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आपराधिक कार्रवाईयां के समापन पर पारिवारिक सदस्य—

- (i) सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त करने से वर्जित कर दिया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से परिवार के अगले पात्र सदस्य को भुगतानयोग्य होगी;
- (ii) सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त ठहराया जाता है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता ऐसे व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी।

विधवा/विधुर की मृत्यु की दशा में आगामी पात्र सदस्य को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

**24.** जहां स्वीकृत अनुकंपा वित्तीय सहायता के चालू रहने के दौरान मृत्यु या अन्यथा के कारण विधवा/विधुर अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए अपात्र हो जाते हैं, तो यह शेष अवधि के लिए अगले पात्र परिवार के सदस्य को भुगतानयोग्य होगी, जिसके लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता देने हेतु विहित प्ररूप में अनुरोध सहित आवश्यक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को पात्र परिवार के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। पात्र परिवार के सदस्य से अनुरोध की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, जांच के बाद, पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा वित्तीय सहायता के भुगतान स्वीकृत करेगा। ऐसा सदस्य उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति के बिना अनुकंपा वित्तीय सहायता का बकाया, यदि कोई हो, प्राप्त करने का भी हकदार होगा। जब अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए कोई अगला परिवार का सदस्य पात्र नहीं है, तो भुगतान समाप्त हो जाएगा, तथापि, अनुकंपा वित्तीय सहायता का बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर किया जाएगा।

न्यायिक रूप से पृथक पति-पत्नी को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

**25.** (1) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी की केवल न्यायिक रूप से पृथक पति-पत्नी जीवित है, तो मृतक के संबंध में अनुकंपा वित्तीय सहायता जीवित पति-पत्नी को भुगतान योग्य होगी :

परंतु जहां न्यायिक पृथककरण व्यभिचार के आधार पर प्रदान किया गया है तथा ऐसे न्यायिक पृथककरण की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता उत्तर जीवित व्यक्ति को भुगतानयोग्य नहीं होगी यदि ऐसा जीवित उत्तरवर्ती व्यक्ति व्यभिचार करने का दोषी ठहराया जा चुका है।

(2) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी, बालक या बालकों सहित छोड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मृतक के संबंध में भुगतानयोग्य अनुकंपा वित्तीय सहायता उत्तरजीवी व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी: बशर्ते वह ऐसे बालक या बालकों का अभिभावक हो :

परन्तु जहां जीवित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का अभिभावक नहीं रहता है, तो ऐसी अनुकंपा वित्तीय सहायता उस व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी जो ऐसे बालक या बालकों का वास्तविक अभिभावक है:

परन्तु यह और कि उप-नियम (1) के परंतुक के अधीन, इस नियम के अधीन पात्र बालक (बालकों) की अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए पात्रता समाप्त हो जाने पर, ऐसी अनुकंपा वित्तीय सहायता, मृतक सरकारी कर्मचारी की न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, भुगतानयोग्य होगी।

26. जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी की एक से अधिक विधवा जीवित है, जहाँ स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता विहित अवधि या अपात्रता, जो भी पहले हो, की तिथि तक विधवाओं को बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगी। जब उनमें से कोई एक अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं रहती है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता का उसका हिस्सा उसके पात्र बालक, यदि कोई हो, को भुगतानयोग्य हो जाएगा :

एक से अधिक विधवाओं को बराबर हिस्से में अनुकंपा वित्तीय सहायता ।

परन्तु यदि ऐसी विधवा का कोई बालक अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता का हिस्सा समाप्त नहीं होगा अपितु अन्य विधवा (विधवाओं) को बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगा।

**टिप्पण.**— इस नियम के उपबन्ध हिन्दू सरकारी कर्मचारी को लागू नहीं होंगे, चूंकि विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के पश्चात् उसकी पहली पत्नी के जीवित रहने के दौरान दूसरा विवाह अमान्य है तथा उसका विधिक प्रभाव नहीं है। ऐसा दूसरा विवाह किसी प्रथा के आधार पर विधिमान्य नहीं हो सकता है। वास्तव में, यदि कोई प्रथा, जो विधि के अभिव्यक्त उपबन्ध के विरुद्ध है, तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसलिए, दूसरी पत्नी विधिक रूप से विवाहित पत्नी के रूप में अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए हकदार नहीं होगी।

27. जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित है, किन्तु वह किसी अन्य दूसरी पत्नी, जो जीवित नहीं है, से पात्र बालक (बालकों) को पीछे छोड़ गया है, तो पात्र बालक (बालकों) को अनुकंपा वित्तीय सहायता का हिस्सा भुगतान किया जाएगा जो उसकी माँ को प्राप्त होता, यदि वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय पर जीवित होती :

विधवा तथा दूसरी पत्नी के बालक को बराबर हिस्सों में अनुकंपा वित्तीय सहायता ।

परन्तु जब ऐसे बालक या विधवा को अनुकंपा वित्तीय सहायता के भाग का भुगतान होना समाप्त हो जाता है, तो ऐसा हिस्सा समाप्त नहीं होगा, किन्तु अन्य विधवा को तथा/या अन्य बालक या बालकों, जो अन्यथा से पात्र हैं, को बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगी।

28. जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित है, किन्तु तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों के पात्र बालक (बालकों) को पीछे छोड़ गया है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगी:

विधवा तथा तलाकशुदा पत्नी के बालक को बराबर हिस्सों में अनुकंपा वित्तीय सहायता ।

परन्तु जब तलाकशुदा पत्नी के बालक (बालकों) या विधवा को भुगतानयोग्य अनुकंपा वित्तीय सहायता का हिस्सा (हिस्से) का भुगतान होना समाप्त हो जाता है, तो ऐसा हिस्सा समाप्त नहीं होगा, किन्तु अन्य विधवा या विधवाओं तथा/या अन्य बालक (बालकों), जो अन्यथा से पात्र हैं, बराबर हिस्सों में तथा उसके बाद अगले पात्र परिवार के सदस्य को भुगतानयोग्य होगा।

29. (1) किसी बात के होते हुए भी, कि कोई विवाह, जो विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 के अधीन अमान्य और बातिल है, किन्तु ऐसे विवाह से बालक, जो विधिमान्य होता यदि विवाह विधिमान्य होता, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि —

विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन अधिमान्य विवाह के बालक को अनुकंपा वित्तीय सहायता ।

(क) इस अधिनियम के अधीन उस विवाह के संबंध में अमान्यता की डिक्ली प्रदान की गई है,

(ख) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा किसी याचिका पर विवाह को अवैध माना गया है।

(2) ऐसे बालक के अधिकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है और विधिक रूप से विवाहित पत्नी की पात्रता न होने की तिथि के पश्चात् प्रोद्भूत होगा। अनुकंपा वित्तीय सहायता विधिक रूप से विवाहित पत्नी और उप-नियम (1) के अधीन आने वाले पात्र बालक के बीच बराबर संवितरित की जाएगी:

परन्तु जब किसी ऐसे बालक को भुगतानयोग्य अनुकंपा वित्तीय सहायता का भाग बंद हो जाता है, तो ऐसा भाग समाप्त नहीं होगा, किन्तु अगले पात्र बालक को भुगतानयोग्य होगा, यदि केवल एक पात्र बालक है, तो ऐसे बालक को पूर्णतः और तत्पश्चात् परिवार के अगले पात्र सदस्य को पूर्णतः भुगतानयोग्य होगा।

30. जहाँ अनुकंपा वित्तीय सहायता जुड़वां बालकों को भुगतानयोग्य है तो उसे ऐसे बालकों को समान भागों में भुगतान किया जाएगा:

जुड़वां बालकों को अनुकंपा वित्तीय सहायता ।

परन्तु जब ऐसे एक बालक की पात्रता समाप्त हो जाती है तो उसके भाग को अन्य बालक को अंतरित कर दिया जाएगा और जब दोनों की अनुकंपा वित्तीय सहायता की पात्रता समाप्त हो जाती है तो अगले पात्र एकल या जुड़वां बालकों को अनुकंपा वित्तीय सहायता जैसी भी स्थिति हो, भुगतानयोग्य होगी।

नैसर्गिक या वस्तुतः संरक्षक के माध्यम से अवयस्क बालक को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

शारीरिक रूप से अशक्त बालक को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

**31.** विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु की दशा में, यदि अनुकंपा वित्तीय सहायता इन नियमों के अधीन अवयस्क बालक को भुगतानयोग्य है, तो उसको उनके नैसर्गिक संरक्षक, यदि कोई हो, के माध्यम से अन्यथा उनके वस्तुतः संरक्षक के माध्यम से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, अवयस्क के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने तक भुगतान किया जाएगा। तथापि, विवादित मामलों में, भुगतान विधि के न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा।

**टिप्पणः—** क्षतिपूर्ति बंधपत्र का नमूना अनुबन्ध सी.एफ.ए. 6 पर उपलब्ध है।

**32.** जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में अनुकंपा वित्तीय सहायता का भुगतान आश्रित अशक्त पुत्र या पुत्री (विवाहित या अविवाहित) को किया जाना है जो किसी रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अशक्त है तथा आजीविका अर्जन करने में असमर्थ है, तो इसको निम्न अनुसार विनियमित किया जाएगा:—

- (1) जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी के दो या अधिक उत्तरजीवी बालक हैं तथा उनमें से एक बालक रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अशक्त या पंगु है तथा जीविका अर्जन करने में असमर्थ है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रारम्भ में शारीरिक रूप से उपयुक्त बालकों से बड़े/सबसे बड़े बालक को तब तक भुगतानयोग्य होगी जब तक वह उसके लिए अपात्र नहीं हो जाता। तत्पश्चात् अनुकंपा वित्तीय सहायता का भुगतान शारीरिक रूप से अगले उपयुक्त बालक को उसकी पात्रता की अवधि तक किया जाएगा। जब शारीरिक रूप से सभी उपयुक्त बालक अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं रहते हैं, तो इसे अशक्त बालक के पक्ष में पुनः आरम्भ कर दिया जाएगा तथा उसे संरक्षक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो, सिवाए उस दशा में जहाँ शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री जिसने व्यस्कता की आयु पूरी कर ली है।
- (2) अनुकंपा वित्तीय सहायता अशक्तता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतानयोग्य होगी :—
  - (क) वह अपनी जीविका अर्जन करने में असमर्थ है तथा मृतक सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित था;
  - (ख) शरीर के कार्यों में क्षति वाले व्यक्ति का जिले के सिविल सर्जन की अध्यक्षता के अधीन बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। बोर्ड आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ को शामिल करेगा। अपीलकर्ता चिकित्सा बोर्ड आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकोत्तर, रोहतक है। चण्डीगढ़/ पंचकूला में रहने वाले व्यक्तियों का परीक्षण सामान्य अस्पताल सैक्टर-16, चण्डीगढ़ तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के अपीलकर्ता चिकित्सा बोर्ड सहित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, सैक्टर-32, के निःशक्तता चिकित्सा बोर्ड, चण्डीगढ़ द्वारा भी किया जा सकता है।
  - (ग) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र मानसिक मंदता सहित स्थाई मानसिक या शारीरिक अशक्तता के मामलों में एक बार अपेक्षित होगा। जहाँ अशक्तता अस्थायी है, तो चिकित्सा बोर्ड से इस आशय का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अपेक्षित होगा कि वह बालक मानसिक रोग या निःशक्तता से लगातार पीड़ित है या शारीरिक रूप से अशक्त या पंगु के रूप में लगातार पीड़ित है।
  - (घ) निम्नलिखित किसी भी प्रकार की चालीस प्रतिशत से अधिक क्षति लाभ के लिए पात्र है। विस्तृत रूप से निःशक्तता चार प्रकार की है :—
    - (i) दृश्यक;
    - (ii) गति-विषयक;
    - (iii) बोलने तथा सुनने;
    - (iv) मानसिक रोग;
- (3) मानसिक रूप से मंदित बालक (बालकों) के दशा में, अनुकंपा वित्तीय सहायता मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी। जहाँ कार्यालयाध्यक्ष को ऐसा कोई नामांकन अपने जीवन-काल के दौरान उस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो बाद में यह मृतक सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा नामांकित व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी।

- (4) आश्रित नेत्रहीन पुत्र/अविवाहित नेत्रहीन पुत्री पात्रता की तिथि तक चिकित्सा बोर्ड से नेत्रहीनता के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए हकदार होगा/होगी :

परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा साक्षित है कि अंधेपन की निःशक्तता उसको अर्जन करने में असमर्थ बनाती है। आश्रित नेत्रहीन बालक के लिए एक बार स्वीकृत अनुकंपा वित्तीय सहायता -

- (क) उस तिथि से बंद हो जाएगी जब नेत्रहीन पुत्र पच्चीस वर्ष या अधिक के बाद में रोगमुक्त हो जाता है तथा जीविका अर्जन के लिए समर्थ हो जाता है या जीविका अर्जन करना शुरू कर देता है, जो भी पहले हो।
- (ख) जारी रखी जाएगी, जब नेत्रहीन पुत्री बाद में रोग मुक्त हो जाती है तथा अर्जन करने के योग्य बन जाती है-
- (i) जीवन के लिए जीविका अर्जन करना आरंभ नहीं कर देती है ; या
- (ii) विवाहित होने तक;
- जो भी पहले हो।

- (5) एक से अधिक ऐसे बालक रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित या जो शारीरिक रूप से अशक्त या पंगु है, के मामले में अनुकंपा वित्तीय सहायता का उनके जन्म के क्रम में भुगतान किया जाएगा तथा उनमें से कनिष्ठ केवल उपरोक्त आगामी ज्येष्ठ की पात्रता न रहने के बाद अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा/करेगी :

परन्तु जहां अनुकंपा वित्तीय सहायता असमर्थ जुड़वां बालकों को भुगतानयोग्य है, तो उसका बराबर हिस्सों में भुगतान किया जाएगा:

परन्तु यह और की जब ऐसा एक बालक पात्र नहीं रहता है, तो इसके हिस्से को अन्य बालक को अन्तरित कर दिया जाएगा तथा तब दोनों की पात्रता की समाप्ति पर अनुकंपा वित्तीय सहायता अगले पात्र एक बालक या जुड़वां बालको को, जैसी भी स्थिति हो, भुगतानयोग्य होगी।

- (6) इन नियमों के अधीन अनुकंपा वित्तीय सहायता पात्र अशक्त बालक (बालकों) को अनुज्ञेय होगी चाहे वह मृत्यु से पूर्व या बाद में पैदा हुआ हो।
- (7) व्यक्ति या संरक्षक जो अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है वह आहरण तथा संवितरक अधिकारी को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के महीने में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि अशक्त बालक ने अपनी आजीविका अर्जन करनी शुरू नहीं की है।
- (8) किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी स्वयं की सन्तुष्टि करेगा कि निःशक्तता ऐसे स्वरूप की है कि जो उसे जीविका अर्जन करने से रोकती है तथा वह व्यक्ति की सही मानसिक या शारीरिक रूप से स्थिति को यथा-संभव, उपवर्णित करते हुए चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वारा साक्षित होना चाहिए।

**टिप्पणः-** शारीरिक रूप से अशक्त आश्रित भाई तथा बहन को भी, जहां पात्र हैं, शारीरिक रूप से अशक्त बालकों के समान इस नियम में यथा अधिकथित मानसिक परीक्षण के अध्यक्षीन अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**33.** जहां अनुकंपा वित्तीय सहायता आश्रित माता-पिता को भुगतानयोग्य है, तो प्रथमतः यह माता को भुगतानयोग्य होगी और उसके पात्र न रहने पर यह मृत्यु, अपात्रता या विहित अवधि की तिथि तक, जो भी पहले हो, पिता को भुगतानयोग्य होगी। जहां आश्रित माता-पिता अलग-अलग रहते हैं, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता का उनको बराबर हिस्सों में भुगतान किया जाएगा।

मृतक सरकारी कर्मचारी के माता या पिता को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

**34.** (1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा वित्तीय सहायता पुलिस प्राधिकारियों के पास प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के पंजीकरण करने की तिथि से मानी गई छह मास की अवधि के बाद, भुगतान किया जाएगा। अनुकंपा वित्तीय सहायता का बकाया गुमशुदा होने की तिथि से दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति बन्धपत्र भी गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार से प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी जो गुमशुदा हो गया है, के परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता।

(2) सेवा के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयां आरम्भ की गई थी, गुमशुदा हो गया है, तो इन नियमों के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में गुमशुदा हुए सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लम्बित कार्रवाईयों की समाप्ति के बाद निर्णय लिया जाएगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी जो कपट या अपराध करने के बाद गुमशुदा हो गया है, तो अनुकंपा वित्तीय सहायता, केवल विधि न्यायालय द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोषमुक्त होने पर या विभागीय कार्रवाईयों की समाप्ति के बाद, जैसी भी स्थिति हो, स्वीकृत की जाएगी।

अनुकंपा वित्तीय सहायता से सरकारी देयों की वसूली नहीं।

**35.** मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में सरकारी देयों की कोई भी वसूली अनुकंपा वित्तीय सहायता से नहीं की जाएगी।

**टिप्पण.—** सरकारी देयों, लाइसेंस फीस इत्यादि की वसूली के लिए देखिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का अध्याय 3 तथा 9.

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उठाए जाने वाले कदम।

**36.** (1) सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, कार्यालयाध्यक्ष मृतक के परिवार को प्ररूप सी.एफ.ए.—1 संलग्न करते हुए पत्र भेजेगा तथा उसमें वर्णित आवश्यक दस्तावेजों की मांग करेगा।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त करने पर, कार्यालयाध्यक्ष अच्छी तरह से जांच करेगा तथा अनुकंपा वित्तीय सहायता यदि अनुज्ञेय है, स्वीकृत करने के लिए विभागाध्यक्ष को अपनी सिफारिशें भेजेगा। सम्पूर्ण जांच के बाद विभागाध्यक्ष विहित अवधि या पात्रता तक मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा वित्तीय सहायता की स्वीकृति के आदेश जारी करेगा।

अनुकंपा वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी।

**37.** विभागाध्यक्ष किसी भी वर्ग के मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। तथापि, कार्यालयाध्यक्ष के मामले में आगामी उच्चतर प्राधिकारी प्रयोजन के लिए सक्षम होगा।

अनुकंपा वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए प्रक्रिया।

**38.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकंपा वित्तीय सहायता की स्वीकृति के बाद, मासिक भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जहां मृतक सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय पर तैनात था या के पात्र परिवार के सदस्य द्वारा चुने गए हरियाणा में कहीं भी उस विभाग के किसी अन्य कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार से समय-समय पर अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति के अध्यक्षीन होगा।

व्यय संबंधित विभाग के वृत्तिमूलक मुख्य शीर्ष के अधीन आब्जेक्ट कोड "79-अनुग्रहपूर्वक" से प्रभारित किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना।

**39.** (1) अनुकंपा वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए पात्र परिवार के सदस्य द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्ररूप के साथ प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं:—

- प्ररूप सी.एफ.ए. 1 में आवेदन;
- सभी स्रोतों से बालक तथा/अथवा माता-पिता की आमदनी का प्रमाणपत्र;
- महिला सदस्य के मामले में, विवाह या पुनर्विवाह का प्रमाणपत्र;
- शारीरिक रूप से अशक्त बालक, यदि कोई हो, का चिकित्सा प्रमाण पत्र;
- किसी आपराधिक मामले के संबंध में कोई भी न्यायिक कार्रवाई या किसी विधि न्यायालय में उसके विरुद्ध लम्बित नहीं है, का प्रमाण-पत्र;

(2) अनुकंपा वित्तीय सहायता की प्राप्ति के पात्र परिवार के सदस्य को प्रत्येक छह मास में एक बार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के पास व्यक्तिगत रूप में पेश होना है या किसी राजपत्रित अधिकारी या उसके निवास के क्षेत्र के गाँव के सरपंच या नगर पार्षद द्वारा विधिवत सत्यापित जीवन प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कार्यग्रहण पर तथा समय-समय पर परिवार के आकार (विस्तार) प्रस्तुत करना।

**40.** (1) कोई व्यक्ति सरकारी सेवा ग्रहण करता है, वह कार्यालयाध्यक्ष को सी.एफ.ए.—4 में यथाशीघ्र अपने परिवार के ब्योरे देगा। यदि कार्यग्रहण के समय पर उसका कोई परिवार नहीं है, तो वह अपना परिवार अर्जित करने पर यथाशीघ्र प्ररूप सी.एफ.ए.—4 में ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष को अपने महिला बालक के विवाह के तथ्य सहित परिवार के आकार (विस्तार) में कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन संसूचित करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष कथित प्ररूप सी.एफ.ए.—4 की प्राप्ति पर संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवापंजी में उसे चिपकवाएगा तथा कथित प्ररूप सी.एफ.ए.—4 तथा इस निमित्त सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी अतिरिक्त पत्र व्यवहारों की प्राप्ति की पावती देगा। सरकारी कर्मचारी के परिवार के आकार में किसी परिवर्तन के बारे में उसकी सूचना की प्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष प्ररूप सी.एफ.ए.—4 में ऐसे परिवर्तन सम्मिलित करेगा।

(4) जब कभी किसी बालक में स्वतः निःशक्तता प्रकट होती है जो उसे उसकी जीविका अर्जन में असमर्थ बनाती है, तो बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत् समर्थित तथ्य को कार्यालयाध्यक्ष के ध्यान में लाना होगा। कार्यालयाध्यक्ष प्ररूप सी.एफ.ए.-4 में इसे वर्णित करेगा।

41. जब तक सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देती है, तो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता आहरित नहीं की गई/दावा नहीं किया गया है, तो वह संवितरण अधिकारी द्वारा बंद कर दी जाएगी। यदि दावेदार बाद में पेश होता है या उसकी ओर से कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो विभागाध्यक्ष चूक की परिस्थितियों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद अनुकंपा वित्तीय सहायता के बकाया सहित दावे को पुनः विधिमान्यकरण करेगा। तीन वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये गए दावों पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुकंपा वित्तीय सहायता का व्ययगत और समपहरण होना।

42. इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, ढील तथा सन्देह दूर करने की शक्ति सरकार के पास होगी।

निर्वचन, संशोधन, ढील तथा सन्देह को दूर करने की शक्ति।

**टिप्पण 1.-** इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के बारे में पत्रव्यवहार सम्बद्ध प्रशासकीय सचिव के माध्यम से सरकार को सम्बोधित होना चाहिए।

**टिप्पण 2.-** जहाँ सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने में इन नियमों का कोई प्रचालन किसी विशेष मामले में असम्यक कष्ट पहुंचाते हैं, तो उस नियम की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों जो वह मामले के न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में निपटान के लिए आवश्यक समझें। के अध्यक्षीन आदेश द्वारा यह अभिमुक्त कर सकती है या ढील दे सकती है।

43. (1) हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा सहायता नियम, 2006, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं;

निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, की गई सभी बातें अथवा कार्यवाई, इन नियमों के अधीन की गई बात या कार्यवाई समझी जाएगी।

प्ररूप सीएफए-1

(देखिए नियम 39)

अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन

1	नाम:						
2	जन्म तिथि:						
3	मृतक कर्मचारी/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण तिथि:						
4	मृत्यु प्रमाण पत्र या एफआईआर की प्रति सहित मृत्यु/गुमशुदा होने की तिथि						
5	पदनाम/अंतिम धारित पद:						
6	अंतिम आहरित मूल वेतन:						
		अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए पात्र परिवार के सदस्य की पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो चिपकाएं					
7	नाम:						
8	स्थायी पता:						
9	पत्राचार का पता:						
10	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध:						
11	अनुकंपा वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए चयन की गई तहसील या जिला स्तर पर संबंधित विभाग की शाखा:						
12	बैंक का नाम						
	बैंक खाता नम्बर						
	आई एफ एस सी कोड						
13	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के संबंध में विस्तृत जानकारी						
क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि	जन्मतिथि का प्रमाण	किसी भी स्रोत से मासिक आय	विवाहित/अविवाहित	आधार संख्या
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
14	कोई अन्य जानकारी						

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना है  
अनुकंपा वित्तीय सहायता की पात्रता के बारे में टिप्पणियाँ :

स्थान :

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्ररूप सी.एफ.ए. 2

[देखिए नियम 8(ग)]

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्ररूप

भाग-क

1.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी का नाम :	
2.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि :	
3.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण तिथि :	
4.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि (सबूत सहित):	
5.	सरकारी कर्मचारी के गुमशुदा होने की तिथि (सबूत सहित):	
6.	आवेदक की सूचना :	
	(क) नाम	
	(ख) पता	
	(ग) मृतक/ गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	
	(घ) क्या मृतक/ गुमशुदा सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित था/थी । यदि हां, तो उसका सबूत	
	(ङ) आय के स्रोत	
	(च) क्या नियोजित है या बेरोजगार है	
	(छ) यदि किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियोजित है, तो कार्यालय का नाम तथा मूल वेतन :	
	(ज) क्या चिरकालिक (पुरानी) बीमारी से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग है:	
7.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के बारे में सूचना:-	

नाम	आयु	पूरा पता (यदि सरकारी सेवा में है तो कार्यालय का नाम)	आय/सरकारी/प्राइवेट सेवा के ब्यौरे	मासिक आय	चल/अचल सम्पत्ति के ब्यौरे तथा उससे मासिक आय	कोई अन्य सूचना
1	2	3	4	5	6	7
	(क)	विधवा/पति				
	(ख)	पुत्र (अविवाहित)				
	(ग)	अविवाहित पुत्रियां				
	(घ)	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी पर आश्रित माता/पिता				
8.	परिवार की सामान्य वित्तीय स्थिति(यह सूचना शपथ-पत्र प्रोफार्मा में दी जानी है )					
9.	मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य जो सरकारी सेवा का चयनकर्ता है । उसकी शैक्षणिक योग्यताएं तथा अन्य सूचना :					
10.	कोई अन्य सम्बन्धित सूचना, यदि कोई हो:					
11.	यदि नौकरी इस स्कीम के अधीन दी जाती है, तो शपथ- पत्र, जो परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा संलग्न किया जाना है कि वे इस स्कीम के अधीन और नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे ।					

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर तथा पता

तिथि :

प्ररूप सीएफए -3

(देखिए नियम 20)

शहीद सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य के लिए  
नियम 20 के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन।

1.	शहीद का नाम:					
2.	विभाग:					
3.	प्रमाण-पत्र में शहीदी की तिथि					
4.	आवेदक की पूरी जानकारी					
(i)	नाम					
(ii)	पूरा पता					
(iii)	शहीद के साथ संबंध					
5.	शहीद के परिवार की जानकारी					
	नाम	आयु	संबंध	चल/अचल संपत्ति	आय	कोई अन्य जानकारी
6.	शहीद के आश्रित परिवार के सदस्य तथा सरकारी सेवा में रूची रखने वाली उसकी पत्नी/आश्रित की शैक्षिक योग्यता और अन्य जानकारी					
7.	यदि इस योजना के अधीन कोई नियोजन पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना है, तो अन्य आश्रित सदस्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र 'संलग्न किया जाना है					

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता

प्ररूप सी एफ ए 4

(देखिए नियम 40)

अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के लिए परिवार का ब्यौरा

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम :					
	पदनाम :					
	जन्म तिथि					
	नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि					
	दिनांक .....को परिवार के सदस्यों का ब्यौरा					
क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	मासिक आय, यदि कोई हो	आधार संख्या	टिप्पणी
1	2	4	3	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

मैं, इसके द्वारा किसी परिवर्धन अथवा परिवर्तन के बारे में कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देते हुए उपरोक्त ब्यौरो को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

स्थान :

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

तिथि :

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर  
कार्यालय की तिथि तथा मोहर सहित

प्ररूप सी.एफ.ए. 5

(देखिए नियम 12)

(घोषणा हेतु शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र

मैं, ..... पुत्र/पुत्री .....  
 श्री.....निवासी (गांव/शहर का नाम) .....  
 तहसील ..... जिला ....., इसके द्वारा प्रतिज्ञान से प्रतिज्ञा तथा घोषणा करता/करती  
 हूँ कि:-

(1) मेरे द्वारा उपरोक्त दिए गए तथ्य, मेरी जानकारी के अनुसार, सही हैं। यदि, इसमें वर्णित कोई भी तथ्य भविष्य में असत्य या गलत पाया जाता है, तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(2) मैं अन्य परिवार के सदस्य, जो इसके साथ सलंगन प्ररूप में वर्णित, मृतक/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, का ठीक प्रकार से अनुरक्षण करूंगा तथा यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा उनका उचित अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है तो, मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

स्थान :

अभिसाक्षी

तिथि :

सत्यापन :

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ-पत्र के तथ्य मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही तथा सत्य हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्थान :

अभिसाक्षी

तिथि :

सी.एफ.ए. 6  
क्षतिपूर्ति बंधपत्र  
(देखिए नियम 31)

(मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के अवयस्यक पात्र परिवार के सदस्य के वास्तविक संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

सभी व्यक्तियों को इन प्रस्तुतियों से यह ज्ञात हो कि हम (क) .....(ख).....  
विधवा/पुत्र/भाई/इत्यादि, (ग) जो..... विभाग/कार्यालय में.....  
(पदनाम) के पद .....पर सेवा कर रहा था, की.....से गायब की रिपोर्ट की  
गई है (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् गायब सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट किया गया है।)

जो.....का निवासी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् आभारी कहा गया) और (घ).....  
श्री ..... का (पुत्र/पत्नी/पुत्री), जो ..... का निवासी और  
श्री..... का..... पुत्र/पत्नी/पुत्री .....  
जो ..... का/की निवासी हैं, जो आभारी के लिए और की ओर से प्रतिभूति देने  
वाला हैं (जिन्हें इसमें, इसके पश्चात्, जमानती कहा गया है) दृढ़ता से हरियाणा के राज्यपाल के प्रति बाध्य है (जिसे इसमें,  
इसके पश्चात्, सरकार कहा गया है) जो अनुकंपा वित्तीय सहायता के बकाया होते हुए ठीक तथा वास्तविक प्रत्येक धनराशि  
सरकार को मांग किए जाने पर बिना किसी आपत्ति के भुगतान करने के लिए हम स्वयं को और हमारे संबंधित वारिसों,  
निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और समानुदेशितियों को इस बंधपत्र से आबद्ध करते हैं।

इसे.....दो हजार.....के.....दिन को हस्ताक्षरित किया गया।

चूंकि (ग)..... सरकार के नियोजन में अपने गुमशुदा होने के समय सरकार से प्रतिमास  
(केवल.....रूपए) की दर पर अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा था।

और चूंकि उक्त (ग) .....दिनांक .....20 .....को गुमशुदा हो  
गया था और उसके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा वित्तीय सहायता हेतु प्रतिमास (केवल.....रूपए) की राशि का भुगतान  
किया जाना है।

और चूंकि सरकार को .....रूपये की राशि (शब्दों में) अनुकंपा वित्तीय सहायता का  
आभारी को, आभारी द्वारा और जमानती द्वारा, पूर्वोक्त वर्णित राशि की सरकार को पूर्वोक्त गायब सरकारी कर्मचारी के प्रति  
सभी दावों में राशि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए, बंधपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त राशि का भुगतान  
करने के लिए सहमत हो गई हैं।

और चूंकि आभारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभूति देने वाले इसमें इसके बाद, अंतर्विष्ट निबंधनों और रीति में बंधपत्र  
निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि आभारी को भुगतान किए जाने के पश्चात् आभारी और/या जमानती किसी अन्य  
व्यक्ति द्वारा या सरकारी कर्मचारी के उपस्थित होने पर और सरकार के विरुद्ध पूर्वोक्त .....  
रूपये (शब्दों में) का दावा किए जाने पर और सरकार द्वारा पूर्वोक्त राशि का भुगतान किए जाने पर सरकार को उक्त .....  
..... रूपये (शब्दों में) का प्रतिदाय करेंगे और सरकार द्वारा अनुकंपा वित्तीय सहायता के रूप में  
भुगतान प्रत्येक राशि का सामान्य भविष्य निधि के समतुल्य दर के साधारण ब्याज के साथ सरकार को भुगतान करेंगे और  
अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को नुकसान नहीं कारित होने देंगे तथा पूर्वोक्त राशियों और सभी लागतों, जो उस पर  
किन्हीं दावों के परिणामस्वरूप उपगत होती हैं, के प्रति सभी दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेंगे, तब उपरोक्त लिखित बंधपत्र या  
बाध्यता शून्य हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और लागू रहेगी।

और यह इस बात का भी साक्ष्य है कि जमानती का दायित्व सरकार की किसी प्रविरिति कार्रवाई या लोप के कारण या  
तत्समय कोई मंजूरी दिए जाने के कारण या सरकार द्वारा जमानती को जानकारी सहित या उसके बिना या जमानती की

सहमति से आभारी द्वारा पूरी की जाने वाली बाध्यता या शर्तों के संबंध में क्षीण या निर्मुक्त नहीं हो जाएगा या किसी अन्य विधि या क्षीणता से, चाहे कुछ भी हो, जिसे जमानतियों के संबंध में किसी विधि के अधीन इस उपबंध के कारण जमानती को ऐसे दायित्व से निर्मुक्त करने का अन्यथा कोई प्रभाव नहीं होगा न ही सरकार को आभारी से पूर्व जमानत/जमानतियों पर वाद चलाने का या उनमें से किसी एक पर इसमें नीचे दी गई राशि के लिए निर्मुक्त करने का कोई प्रभाव होगा।

इसके साक्ष्य के रूप में इसमें आभारी और प्रतिभूति देने वाले ऊपर लिखित दिनांक, मास तथा वर्ष ..... को हस्ताक्षर करते हैं।

..... की उपस्थिति में ऊपर नामित 'आभारी' द्वारा हस्ताक्षरित

1. ....

2. ....

ऊपर नामित प्रतिभूति देने वाले/वालों द्वारा हस्ताक्षरित

1. ....

2. ....

हरियाणा के राज्यपाल के लिए और  
उसके निमित्त स्वीकृत

निम्नलिखित की उपस्थिति में

.....  
(हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा  
की ओर से बंधपत्र को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित  
किए गए या प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

1. ....

2. ....

(साक्षी का नाम और हस्ताक्षर)

**टिप्पण.1:-**

- (क) 'आभारी' के रूप में निर्दिष्ट दावाकर्ता का पूरा नाम।
- (ख) मृतक से आभारी का संबंध बताएं।
- (ग) मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम।
- (घ) पिता/पति के नाम सहित प्रतिभूति देने वाले/वालों का पूरा नाम तथा निवास स्थान।
- (ङ.) भुगतान के लिए जिम्मेवार अधिकारी का पदनाम।

**टिप्पण.2:-** आभारी के साथ-साथ प्रतिभूति देने वाले वयस्यक होने चाहिए ताकि बंध पत्र का विधिक प्रभाव या बल हो सके।

\*\*\*\*\*

## क्षतिपूर्ति बंधपत्र

## [देखें नियम 34(1)]

## (गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के मामले में पात्र पारिवारिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

सभी व्यक्तियों को इन प्रस्तुतियों से यह ज्ञात हो कि हम (क)1. ....  
(ख)2. ....विधवा/पुत्र/भाई/नामांकित इत्यादि, (ग)3. जो..... विभाग/कार्यालय में.  
.....(पदनाम) के पद ..... पर सेवा कर रहा था, की.....  
से गुमशुदा की रिपोर्ट की गई है (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् गुमशुदा सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट किया गया है।)

जो.....का निवासी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् आभारी कहा गया) और  
(घ)4. .... श्री ..... का (पुत्र/पत्नी/पुत्री), जो .....  
का निवासी और श्री..... का..... पुत्र/पत्नी/पुत्री .....  
..... जो ..... का/की निवासी हैं, जो आभारी के लिए और की ओर  
से जमानती हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् जमानती कहा गया है) दृढ़ता से हरियाणा के राज्यपाल के प्रति बाध्य है (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) जो अनुकंपा वित्तीय सहायता के बकाया होते हुए ठीक तथा वास्तविक प्रत्येक  
धनराशि सरकार को मांग किए जाने पर बिना किसी आपत्ति के सामान्य भविष्य निधि के लिए विहित दर पर सामान्य ब्याज  
सहित भुगतान की तिथि से पुनः भुगतान की तिथि तक भुगतान करने के लिए हम स्वयं को और हमारे संबंधित वारिसों,  
निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और समानुदेशितियों को इस बंधपत्र से आबद्ध करते हैं।

इसे .....दो हजार.....के.....को हस्ताक्षरित किया गया।

चूंकि (ग)..... अपने गुमशुदा होने के समय हरियाणा सरकार का कर्मचारी था, जो वेतन तथा  
भत्ते प्राप्त कर रहा था।

और चूंकि उक्त (ग) .....20 .....के.....दिन को गुमशुदा  
हो गया था और उसके गुमशुदा होने के समय उसे वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान के कारण राशि के बराबर राशि देय  
थी।

और चूंकि आभारी नियमों के अधीन अनुज्ञेय..... रुपये जमा प्रतिपूर्ति भत्ते.....की अनुकंपा वित्तीय  
सहायता का हकदार है।

और चूंकि आभारी ने अभ्यावेदन किया है कि वह पूर्वोक्त राशि का/की हकदार है और उसने असम्यक विलंब और  
कठिनाई से बचाने के लिए सरकार को उसका भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

(क) 'आभारी' के रूप में निर्दिष्ट दावाकर्ता का पूरा नाम।

(ख) गुमशुदा सरकारी कर्मचारी से आभारी का संबंध बताएं।

(ग) गुमशुदा सरकारी कर्मचारी का नाम।

(घ) पिता/पति के नाम सहित प्रतिभूती देने वाले/वालों का पूरा नाम तथा निवास स्थान।

और चूंकि सरकार .....रुपये की राशि (शब्दों में) अनुकंपा वित्तीय सहायता का  
आभारी को, आभारी द्वारा और जमानती द्वारा, पूर्वोक्त वर्णित राशि की सरकार को पूर्वोक्त गायब सरकारी कर्मचारी के प्रति  
सभी दावों में राशि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए, बंधपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त राशि का भुगतान  
करने के लिए सहमत हो गई हैं।

और चूंकि आभारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभूती देने वाला/वाले इसमें, अंतर्विष्ट निबंधनों और रीति में बंधपत्र  
निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि आभारी को भुगतान किए जाने के पश्चात् आभारी और/या जमानती किसी अन्य  
व्यक्ति द्वारा या सरकारी कर्मचारी के उपस्थित होने पर और सरकार के विरुद्ध पूर्वोक्त .....  
रुपये (शब्दों में) का दावा किए जाने पर और सरकार द्वारा पूर्वोक्त राशि का भुगतान किए जाने पर सरकार को उक्त .....  
..... रुपये (शब्दों में) का प्रतिदाय करेंगे और सरकार द्वारा अनुकंपा वित्तीय सहायता के  
रूप में भुगतान प्रत्येक राशि का सामान्य भविष्य निधि के समतुल्य दर के साधारण ब्याज के साथ सरकार को भुगतान करेंगे  
और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को नुकसान नहीं कारित होने देंगे तथा पूर्वोक्त राशियों और सभी लागतों, जो उस  
पर किन्हीं दावों के परिणामस्वरूप उपगत होती हैं, के प्रति सभी दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेंगे, तब उपरोक्त लिखित बंधपत्र या  
बाध्यता शून्य हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और लागू रहेगी।

और यह इस बात का भी साक्ष्य है कि जमानती का दायित्व सरकार की किसी प्रविरिति कार्रवाई या लोप के कारण या तत्समय कोई मंजूरी दिए जाने के कारण या सरकार द्वारा जमानती को जानकारी सहित या उसके बिना या जमानती की सहमति से आभारी द्वारा पूरी की जाने वाली बाध्यता या शर्तों के संबंध में क्षीण या निर्मुक्त नहीं हो जाएगा या किसी अन्य विधि या क्षीणता से, चाहे कुछ भी हो, जिसे जमानतियों के संबंध में किसी विधि के अधीन इस उपबंध के कारण जमानती को ऐसे दायित्व से निर्मुक्त करने का अन्यथा कोई प्रभाव नहीं होगा न ही सरकार को आभारी से पूर्व जमानत/जमानतियों पर वाद चलाने का या उनमें से किसी एक पर इसमें नीचे दी गई राशि के लिए निर्मुक्त करने का कोई प्रभाव होगा।

इसके साक्ष्य के रूप में इसमें आभारी और प्रतिभूती देने वाला/वाले ऊपर लिखित दिनांक, मास तथा वर्ष ..... को पर हस्ताक्षर करते हैं।

निम्नलिखित की उपस्थिति में ऊपर नामित आभारी द्वारा हस्ताक्षरित

1. ....

2. ....

ऊपर नामित प्रतिपूर्ति देने वाले/वालों द्वारा हस्ताक्षरित

1. ....

2. ....

हरियाणा के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत

.....

निम्नलिखित की उपस्थिति में

(हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा  
की ओर से बंधपत्र को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित  
किए गए या प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

1. ....

2. ....

(साक्षी का नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पण.— बाध्यताधारी तथा जमानती वयस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र का विधिक प्रभाव या बल हो सके।

केशनी आनन्द अरोड़ा,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

**Notification**

The 2nd August, 2019

**No. G.S.R. 32/Const./Art. 309/2019.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to grant the compassionate financial assistance or compassionate appointment to the dependent family member of a Government employee who dies or disappears while in service, namely:—

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019.</p> <p>(2) These rules shall come into force with effect from 1st August, 2019.</p>  | <p>Short Title and Commencement.</p>                                |
| <p>2. The object of these rules is to grant compassionate financial assistance or appointment to the family of Government employee who dies or disappears while in service, consequently to relieve the family of Government employee concerned from financial distress</p>  | <p>Object of rules.</p>   |
| <p>3. Save as otherwise provided, these rules shall be applicable to the eligible family member(s) of a <i>Government employee working on regular basis and All India Service Officers who disappears or dies while in service including death by suicide.</i></p> <p><i>Note 1.— The family of deceased Government employee who died before the date of notification of these rules but have not been sanctioned the compassionate financial assistance by the competent authority due to one reason or the other, they may exercise an option within a period of six months from the date of notification either to avail the benefit under the Haryana Compassionate Assistance to the Departments of Deceased Government Employees Rules, 2006 or these rules. Option once exercised shall be final.</i></p> <p><i>Note 2.— Where there is any training compulsory for a person selected by the Haryana Public Service Commission or Haryana Staff Selection Commission or any approved agency before his appointment to a post on regular basis, these rules shall also be applicable during the period of training.</i></p> <p><i>Note 3.— The eligible family members of All India Service Officers may exercise an option either to avail the benefit under these rules or under the rules or policy of Government of India applicable to All India Service Officers at the time of death or disappearance while in service.</i></p> <p><i>Note 4.— The Speaker of the Legislative Assembly has agreed under clause (3) of article 187 of the Constitution of India that until a law is made by the Legislature of the State under clause (2) of article 187 of the Constitution or rules are framed by the Governor in consultation with the Speaker of the Legislative Assembly under clause (3) of article 187 of the Constitution of India, these rules and amendments thereof, if any, after prior consent of the Speaker, shall apply to the Secretarial staff of the Haryana Legislative Assembly.</i></p> <p><i>Note 5.— The Chairman, Haryana Public Service Commission, has agreed to the application of these rules as amended from time to time, in the case of officers and employees of the Haryana Public Service Commission.</i></p> | <p>Extent of application.</p>                                       |
| <p>4. (1) The family member shall be eligible for consideration of compassionate appointment under these rules subject to the condition that the deceased or missing Government employee should,—</p> <p>(i) have completed five years service on regular basis;</p> <p>(ii) have not attained the age of fifty-two years or more upto the date of death or missing; and</p> <p>(iii) not be suspected to have committed fraud or joined any terrorist organisation or gone abroad.</p>  | <p>Eligibility of Family Members for compassionate appointment.</p> |

**Explanation.**— *Five years service includes the period of all kinds of leave sanctioned by the competent authority and availed by the deceased or missing Government employee while working on regular basis.*

(2) Compassionate appointment would not be a matter of right and it will be subject to fulfillment of all the conditions, including the availability of vacancy, as laid down for such appointment under these rules.

## Definitions

5. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) **“compassionate financial assistance”** means a monthly assistance at the rate specified by Government by notification from time to time, which is admissible under these rules to the eligible family member(s) of a Government employee who dies or disappears while in service subject to future good conduct;
- (b) **“compassionate appointment”** means appointment of an eligible family member of deceased or a missing Government employee to the post of, Group C or D, lower than the functional pay level of the post held by the deceased or missing Government employee, at the time of death or disappearance while in service;
- (c) **“deceased Government employee”** means a Government employee who while working on regular basis dies while in service;
- (d) **“dependent”** means a family member whose total income from all sources is less than the sum of minimum family pension plus dearness relief thereon as specified from time to time by Government.

*Note.— Parents shall be deemed to be dependent on the Government employee if their combined income is less than the minimum family pension, specified from time to time, plus the dearness relief admissible thereon. Unmarried Disabled siblings [brother(s) and sister(s)] shall be deemed to be dependent on the Government employee if their income is less than the minimum family pension plus dearness relief;*

- (e) **“eligible family member”** means spouse or a dependent member of the family of deceased or missing Government employee in order of priority seeking financial assistance or appointment on compassionate grounds;
- (f) **“family for the purpose of compassionate financial assistance”** means —
  - (i) (a) widow (widows wherever permissible under personal law) or widower, upto the date of re-marriage or death, whichever is earlier;
  - (b) judicially separated spouse of a deceased or missing Government employee, provided that such separation has not been granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;
  - (c) childless widow of a deceased or missing Government employee who has not remarried provided her independent income from all other sources is less than the minimum family pension prescribed by the State Government from time to time plus dearness relief thereon. In all such cases, she shall be required to give a declaration regarding her income from all other sources to the Head of Office once in every six months;
  - (ii) failing (i) above, the eldest unmarried and dependent son(s) or daughter(s) upto the age of twenty-five years;
  - (iii) failing (i) and (ii) above, the dependent eldest divorced or widowed daughter(s) upto the age of twenty-five years, upto the date of her marriage/re-marriage or till the date she starts earning livelihood, whichever is the earliest provided she should have been widowed or divorced before the date of expiry of eligibility of other existing family member for compassionate financial assistance;

- (iv) failing (i) to (iii) above, the dependent eldest daughter amongst unmarried/widowed/ divorced daughters of above twenty-five years, upto the date of her marriage/re-marriage or till the date she starts earning livelihood, whichever is earlier. In case of widowed/divorced daughter, she should have been widowed/ divorced before the date of expiry of eligibility of other family member for compassionate financial assistance;
- (v) failing (i) to (iv) above, son and daughter suffering from disorder or disability of mind or physically crippled or disabled irrespective of his/her age provided they were wholly *dependent* upon the Government employee when he/she was alive;
- (vi) failing (i) to (v) above, parents who were wholly *dependent* on the Government employee when he/she was alive provided their present combined income is less than the minimum family pension, prescribed from time to time, plus dearness relief thereon;
- (vii) failing (i) to (vi) above, unmarried physically disabled sibling (brother and sister) provided they were wholly dependent upon the deceased Government employee when he/she was alive:

**Note 1.**— *For the purpose of this rule, “widow” means legally wedded wife of deceased Government employee.*

**Note 2.**— *Divorce by the Panchayat or Social Organizations shall not constitute a legal divorce.*

**Note 3.**— *Son/daughter includes children legally adopted under the Hindu Law or personal law of the Government employee residing with and wholly dependent upon his/her parent but does not include step children.*

**Note 4.**— *It shall be the duty of person who is drawing compassionate financial assistance (son, daughter, parents, siblings or the guardian, as the case may be) to furnish a certificate to the disbursing authority, twice in a year, i.e. in the month of March and September every year, that she/he or they have not started earning his/her or their livelihood. A similar certificate shall also be furnished by a childless widow after her re-marriage;*

(g) **“Family for the purpose of compassionate appointment”** means —

- (i) widow or widower;

**Note 1.**— *Judicially separated wife or husband shall not be a member of the family for the purpose of compassionate appointment without the consent of the remaining eligible family members;*

- (ii) children, including adopted children, already not in service in any Department or Organization under any State Government or Government of India; and

- (iii) dependent brother and sister in case of unmarried deceased or missing Government employee only.

**Note 1.**— *Where there is more than one widow, neither the living widow nor the children of deceased and living widow shall be included in the family for the purpose of compassionate appointment.*

**Note 2.**— *For the purpose of this rule, “widow” means legally wedded wife of deceased Government employee.*

**Note 3.**— *Divorce by the Panchayat or Social Organizations shall not constitute a legal divorce.*

*Note 4.— Son/daughter includes children legally adopted under the Hindu Law or personal law of the Government employee residing with and wholly dependent upon his/her parent but does not include step children;*

- (h) **“Government”** means the Haryana Government in the General Administration Department;
- (i) **“Government employee”** means a member of the State Services of Group A, B, C or D whose,—
- (i) conditions of service are regulated by rules made by the Governor of Haryana under the proviso to article 309 of the Constitution of India;
  - (ii) appointment is made on regular basis in connection with the affairs of Government of Haryana; and
  - (iii) pay is debited to Consolidated Fund of the State of Haryana except when serving on foreign service or deputation but it shall not include persons—
    - (1) of casual or daily-rated or part-time employment;
    - (2) paid from contingencies/contingent charges;
    - (3) of work-charged establishment;
    - (4) appointed on contract or adhoc basis; and
    - (5) re-employed after retirement;
- (j) **“martyred Government employee”** for the purpose of these rules means a Police personnel or a civil employee of the Haryana Government working on regular basis who is killed in action while performing duties of his office displaying bravery and extraordinary courage;
- (k) **“missing Government employee”** means a Government employee who while working on regular basis—
- (a) disappears and whose whereabouts are not known;
  - (b) is reported through the Police Station to be missing while on pilgrimage, tour, etc.; or
  - (c) has been kidnapped by insurgents/terrorists;
- (l) **“while in service”** means during the period of service but before attaining the age of superannuation.

**Exception.—** *In case of Haryana Civil Medical Services Doctors or any other personnel where the age of superannuation is more than sixty years, the age of superannuation for the purpose of duration of compassionate financial assistance admissible under these rules shall be deemed to be sixty years.*

(2) The terms not defined in these rules but defined in Haryana Civil Services Rules, 2016 shall have the same meaning and sense for the purpose of these rules.

Duration of compassionate financial assistance.

6. The compassionate financial assistance shall be admissible to such eligible family member from the next day of the death of the Government employee for the following period or upto the date of superannuation of such Government employee, whichever is earlier. In case of death—

1.	before attaining the age of thirty-five years	for a period of fifteen years subject to eligibility.
2.	on attaining the age of thirty-five years but before forty-eight years	for a period of twelve years or upto the date of attaining the age of superannuation or sixty years, whichever is earlier, subject to eligibility.
3.	on attaining the age of forty-eight years or above	for a period of seven years or upto the date of attaining the age of superannuation or sixty years, whichever is earlier, subject to eligibility.

**Note.**— *The Family Pension under the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, where applicable, shall be admissible to the family of deceased or missing Government employee, from the next date after the completion of tenure of compassionate financial assistance.*

7. (1) In case of death or disappearance of the Government employee while in service, before attaining the age of fifty-two years subject to completion of minimum five years service on regular basis, the eligible family member may opt for compassionate appointment, in place of compassionate financial assistance. Compassionate Appointment on Group C or D post.

- (a) The compassionate appointments under these rules shall be confined to Group C or Group D post only.
- (b) Status of the deceased or missing Government employee or the higher qualifications of the eligible family member shall not be considered for giving compassionate appointment.
- (c) The compassionate appointment being offered shall be to a post of at least one step lower Functional Pay Level than the functional level or Assured Career Progression (ACP) Level or any other level higher than the Functional Level of the post last held by the deceased or missing Government employee, except in cases where the deceased or missing Government employee was working at the lowest level in Group D post.

**Explanation 1.**— *The functional pay level of the post last held by the deceased or missing Government employee is FL-12 (corresponding to Functional Grade Pay 7600), the compassionate appointment shall be made to a post of Group C, but not lower than the post of Clerk, depends upon the eligibility and qualification and also the availability of vacancy in the Department.*

**Explanation 2.**— *The functional pay level of the post last held by the deceased or missing Government employee is FL-6 (corresponding to Functional Grade Pay 4200), the compassionate appointment shall be made to a post of Group C below the functional level of 4200, but not lower than the post of Clerk, depends upon the eligibility and qualification of the eligible family member and also the availability of vacancy in the Department.*

**Explanation 3.**— *The functional pay level of the post last held by the deceased or missing Government employee is FL-6 (corresponding to Functional Grade Pay 4200) but pay was being drawn in ACP Level-11 (corresponding to ACP grade Pay 4800) the compassionate appointment shall be made to a post of Group C below the ACP level last held, but not lower than the post of Clerk, depends upon the eligibility and qualification of the eligible family member and also the availability of vacancy in the Department.*

**Explanation 4.**— *The deceased or missing Government employee was holding the post of Group D and was drawing pay in the functional pay level corresponding to Functional Grade Pay 1650, the compassionate appointment shall be made to a post of Group D in the functional level.*

8. (a) The family of deceased/martyred Government employee shall submit an application for compassionate appointment in the prescribed form within six months from the date of death of the Government employee to the Head of Office where the deceased Government employee was on the rolls at the time of death, for onward submission to the Head of Department for further necessary action. Procedure for compassionate appointment.
- (b) In case of missing Government employee the application in the prescribed form shall be submitted by the family after a period of three months from the date of lodging First Information Report (FIR) in the police station alongwith police investigation report regarding untraceable of missing Government employee.
  - (c) The proforma as in CFA-2 (or CFA-3 in case of martyred Government employee) may be used by departments for ascertaining necessary information and processing the cases of compassionate appointment.

- (d) Each Department may nominate one or more Welfare Officer(s) who shall meet the members of the family of the deceased or missing Government employee immediately upon the demise to advise and assist the family in obtaining ex-gratia compassionate appointment under these rules. The applicant shall be called in person at the very first instance and advised about the requirements and formalities to be completed by him.
- (e) The Head of the Department shall prepare a list of such eligible family members, who have applied within the stipulated period of six months and review the status of application once every month to consider the cases received during the previous month. The names of the eligible family members shall be arranged with reference to the date of death or date of receipt of Police investigation report regarding untraceable or missing Government employee. These names shall remain on the list for a period of four year from the date of death and appointments shall be given by the department strictly in accordance with these rules and the seniority so maintained. An application for appointment is to be considered in the light of these rules. The applicant may also be granted personal hearing by the concerned Head of the Department, if necessary, for better appreciation of the facts of the case.
- (f) The validity of the names of the eligible family members on the list shall lapse after four years from the date of death or receipt of Police report, as the case may be.

**Explanation.**— *For the purpose of counting the period of four years, any delay caused on account of negligence of an officer/official of the Government can be excluded, provided the delay so caused was on account of such negligence and not on account of normal processing of the case.*

- (g) Where the compassionate appointment is not given to the eligible family member due to non-availability of post within a period of one year, in such case the benefit of compassionate financial assistance shall be sanctioned by the Head of Department with retrospective effect to the eligible family member provided that—
  - (i) a certificate shall be obtained from the concerned Treasury Officer regarding withholding of Family Pension for future, if the same has already been sanctioned;
  - (ii) Family Pension Payment Order (FPPO), in original, shall be received back from the Treasury Officer concerned and sent to the Principal Accountant General, Haryana, alongwith complete information in this regard;
  - (iii) the amount of Family Pension already drawn, if any, shall be recovered from the amount of arrear of compassionate financial assistance; and
  - (iv) this process shall be completed within a period of ninety days.

After the completion of tenure of Compassionate Financial Assistance, the proposal with the Forms of Family Pension duly filled by the eligible family member would be sent to the Principal Accountant General, Haryana by the Head of Department concerned to resanction the Family Pension afresh to the family member who is eligible at that time.

Competent authority for Compassionate Appointment.

**9.** (1) The Head of the department, where the deceased or missing Government employee was in service, is competent to give compassionate appointment to the eligible family member.

(2) While considering the request of the family of missing Government employee, the results of the Police investigation after a lapse of minimum six months from the date of lodging an First Information Report (FIR) by the family shall be taken into account.

Determination/availability of posts.

**10.** (a) Compassionate appointments under these rules shall be made on regular basis only by the competent authority in the parent department of the deceased or missing Government employee or any other department where the post for which the applicant is eligible under these rules and is available meant for that purpose.

- (b) Compassionate appointments under these rules shall be made up to maximum of 5% of sanctioned posts (falling under direct recruitment quota) in Group C category to be determined by the Head of the Department on the 31st March of each year. However, for compassionate appointment against the post of Group D category there shall be no such percentage of sanctioned post. The appointing authority may hold back upto 5% of posts of Group C posts to be filled by direct recruitment through Haryana Staff Selection Commission or otherwise, so as to fill such posts by appointment on compassionate grounds.
- (c) A person selected for compassionate appointment shall be adjusted in the recruitment roster against the appropriate category viz. Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/Backward Classes/ General dependent upon the category to which he belongs.
- 11.** Appointment under these rules are exempted from observance of the following requirements:— *Exemption.*
- (a) recruitment without the agency of the Haryana Staff Selection Commission or the Employment Exchange.
- (b) ban on filling up of posts by direct recruitment issued by the Finance Department, if any, from time to time.
- 12.** A person appointed under these rules shall give an undertaking in writing by way of an affidavit as in Form CFA-5 that he shall maintain all the other members who were completely dependent on the deceased/missing Government employee; and in case it is proved subsequently, that the family members are being neglected or, are not being maintained by him, his appointment may be terminated forth with. A condition to this effect, shall also be inserted in his appointment letter. *Undertaking by way of an affidavit.*
- 13.** (a) Once an appointment has been offered to the dependent of a deceased or missing Government employee, no request for change of post shall be entertained with respect to any other post or department under any circumstances. In case the offer is not acceptable to him, no further claim shall be entertained. *No entertainment or request for change in post/ department.*
- (b) When a person has been appointed under these rules to a particular post, the set of circumstances, which led to such compassionate appointment, shall be deemed to have ceased to exist on such appointment.
- Therefore—
- (i) he/she should strive his/her career like his/her colleagues for future advancement and any request for appointment to any higher post on considerations of compassionate to be rejected;
- (ii) any appointment made under these rules shall not be transferred to any other person and any request for the same on considerations of compassion shall be rejected.
- 14.** (a) The *inter-se* seniority of persons so appointed may be fixed in their respective cadre with reference to their date of appointment. Their interpolation with the direct recruits/promotees may also be made with reference to their dates of appointment without disturbing the *inter-se* seniority of direct recruits. *Seniority.*
- (b) Date of joining by a person so appointed shall be treated as the date of his regular appointment.
- 15.** (a) Compassionate appointments made under these rules shall be done in such a way that persons appointed to the posts have the essential educational/technical qualifications, age and experience required for the post consistent with the requirement of maintenance of efficiency of administration. *General.*
- (b) Compassionate appointment shall not be denied or delayed merely on the ground that there is reorganization in the department/office. It shall be made available to the person concerned, if there is a vacancy meant for such appointment and he is found eligible and suitable for such appointment.

- (c) Compassionate appointment under these rules shall have precedence over absorption of surplus employees and regularization of daily wage/casual workers with/without temporary status.
- (d) The eligible family member of the deceased employee shall be required to apply for appointment within six months of the death of the employee. The claim of the eligible family member of deceased or missing Government employee regarding his appointment shall be considered on the basis of circumstances prevailing on the date of death or disappearance of Government employee, as the case may be. It shall be ensured that the dependent who is offered regular employment satisfies the eligibility criteria at the time of offering employment.
- (e) Where the children have become orphans upon the demise of the Government employee, the claim of compassionate appointment of such orphans shall remain alive till one child of the deceased has attained the age of majority/minimum age for entry into Government service.
- (f) Family Pension shall also be admissible to the family of those deceased or missing Government employees who entered in service on regular basis before the 1st January, 2006, in addition to compassionate appointment under these rules, as per provision in Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Ex-gratia Grant.

**16.** In addition to monthly compassionate financial assistance or appointment, a lump sum exgratia grant of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) or as specified from time to time shall be provided to the eligible family member(s) to meet the immediate needs on the loss of the bread earner within the fifteen days from the date of death. The concerned Head of Department shall be the competent authority for sanction of this grant under the relevant head as mentioned in Schedule to these rules. **“2235 Social Security and Welfare -60 Other Social Security and Welfare programmes-200 Other Programmes-(X) Ex-gratia grant to the heir of Government employees-79-Ex-gratia.”**

Waiving of recovery of loans and advances of Group C or D employee.

- 17.**
- (a) The outstanding amount of loans and advances alongwith interest, if any, namely marriage advance, cycle advance, wheat advance, festival advance availed by a deceased or missing Government employee of Group C or D only shall be waived off for which Head of Department concerned shall be the competent authority.
  - (b) The house building advance and Computer Advance alongwith interest availed if any by a deceased or missing Government employee of Group C or D shall be waived off provided not more than one surviving member of the family of deceased or missing Government is/was employed. The second house building advance or interest thereon, availed if any, shall not be waived off under any circumstances.
  - (c) The outstanding amount of scooter or motor cycle advance alongwith interest, availed if any, by a deceased or missing Government employee of Group C or D shall be waived off where the death occurs due to accident only and not in other cases.
  - (d) The expenditure shall be charged to the Object Code – **“31-Write off Loans/Losses”** under the functional major head of the concerned department- 800 -Other expenditure - A - Irrecoverable loan written off.

Children Education Allowance and reimbursement of tuition fee.

**18.** (1) The family of deceased or missing Government employee shall be entitled to children education allowance for first two children upto 10+2 or till such time the deceased Government employee would have actually received the same had he been alive, whichever is earlier, provided the spouse of deceased Government employee is not employed in any Department or Organization under the control of any State Government or Government of India. Thereafter fee on account of tuition fee and laboratory fee equal to the fee of Government Institutions or actually paid, whichever is less, shall be reimbursed for the first two children who are studying in Government or Government Aided or recognized College/Institutions upto the Degree level provided the children get admission in the said course on merit and pass the examination hold from time to time. For this purpose the family has to submit the original fee receipt given by the College/Institution to the Head of Department for sanction of reimbursement of the same.

(2) The expenditure shall be charged to the Object Code – “79-Exgratia” under the functional major head of the concerned department.

19. The family of deceased Government employee shall, during the tenure of Compassionate Financial Assistance, be entitled to avail the benefit of fixed medical allowance or reimbursement of medical expenses at the rate prescribed from time to time on the same terms and conditions as prescribed by Haryana Government for their employees in service.

Fixed Medical Allowance.

20. An eligible family member of a martyred Government employee shall, in addition to financial assistance under these rules, also be eligible for appointment to a post of Group C or D feeder post, depending upon the availability of the post and qualification of the applicant. He shall make an application for compassionate appointment within a period of six months in Form CFA-3, to the Head of the Department where the Martyred was working:

Special benefit to the family of martyred Government employee.

Provided that where the children have become orphans upon the demise of the Martyred, the claim of appointment of such orphans shall remain alive till one child of the martyred has attained majority/minimum eligible age for entry into Government service.

*Note.— To allow the benefit of compassionate appointment to the eligible family member, the provisions of minimum service or maximum age of the martyred Government employee shall not be applicable.*

21. (A) Emoluments for the purpose of determination of compassionate financial assistance under various circumstances shall be as under :-

Emoluments of compassionate financial assistance.

(1) In case of death while on duty, the emoluments for the purpose of determination of compassionate financial assistance shall be equal to last drawn basic pay including special pay in lieu of higher time scale but excluding advance or additional increments, if any, not merged in the basic pay.

*Note 1.— No annual increment on compassionate financial assistance shall be granted, however, the benefit of re-fixation of pay, if any, admissible to the deceased or missing Government employee before the date of death or missing, as the case may be, shall be granted.*

*Note 2.— On general revision of pay scales of all the employees of Haryana Government, the benefit of fixation of pay from unrevised to revised pay scales for the purpose of compassionate financial assistance shall be admissible.*

(2) In case of death while under suspension, the emoluments for compassionate financial assistance shall be determined equal to basic pay immediately drawn before the date of suspension. The increment(s) falling during the period of suspension shall not be taken into account unless the period of suspension is treated as duty by the competent authority.

(3) In case of death during the currency of punishment or withholding of last increment or a series of last increments without cumulative effect, the emoluments for compassionate financial assistance shall be determined equal to the amount which would have been admissible had the deceased Government employee not been awarded such punishment.

(4) In case of death while on leave, the emoluments for compassionate financial assistance shall be determined equal to the amount which would have been admissible had the deceased Government employee been on duty on the date of death.

(5) In case of death during the period of absence related to unauthorized leave pending final decision regarding treatment of the said period, the emoluments for compassionate financial assistance shall be determined equal to the last emoluments drawn immediately before the date of absence.

(B) Compensatory allowances on compassionate financial assistance shall be as under:-

(i) The dearness allowance at the rate prescribed from time to time, fixed medical allowance, if opted, children education allowance subject to eligibility, shall be admissible;

- (ii) house rent allowance for a period of two years at the rate drawn immediately before death or admissible at the station from where the Compassionate Financial Assistance is being drawn, whichever is less, or to retain Government accommodation, if already occupied, for a period of two years on payment of normal licence fee;
- (iii) Children Education Allowance as per provision in the rule 18 of these rules;

No other allowances including non-practicing allowance, which were being drawn by the deceased or missing Government employee, shall be included in the emoluments for the purpose of compassionate financial assistance.

Eligibility of compassionate financial assistance in addition to pension or family pension or dual assistance at a time.

- 22.** (1) (a) where both husband and wife are employees of a department or an Organization under Haryana Government; or
- (b) the spouse is an employee of other Government; or
- (c) the spouse is a pensioner of Haryana or any other Government,

and both or either of them are/is governed by the provisions of these rules, the compassionate financial assistance in respect of deceased Government employee of Haryana shall be admissible to the eligible family member of the deceased or missing Government employee. In the event of death or ineligibility of surviving spouse before the completion of prescribed period, the compassionate financial assistance shall be payable to the next eligible family member in addition to family pension, if any, in respect of deceased pensioner simultaneously.

(2) In the event of death of both husband and wife, referred to sub-rule 1 (a) above, compassionate financial assistance for both deceased Government employees shall be admissible to the eligible family member(s). However, for determination of the total emoluments for compassionate financial assistance (excluding compensatory allowances) in respect of both deceased Government employees shall not exceed the maximum of the highest pay scale of state services or as prescribed from time to time.

*Note.*— *As on the date of notification of these rules, the maximum of highest basic pay of the State Services is Rs. 2,24,100/-.*

Regulation of compassionate financial assistance in case of criminal proceedings.

**23.** (1) Where a family member, who in the event of death while in service of a Government employee, is eligible to receive compassionate financial assistance, is charged with the offence of murdering the Government employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such member, including other eligible member(s) of the family to receive the compassionate financial assistance, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub rule (1), the family member is,-

- (i) convicted for the murder or abetting in the murder of the Government employee, such a person shall be debarred from receiving the compassionate financial assistance which shall be payable to next eligible member of the family, from the next day of the death of Government employee;
- (ii) acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the Government employee, the compassionate financial assistance, shall be payable to such person.

Compassionate financial assistance to next eligible member in the event of death of widow/widower.

**24.** Where during the currency of the sanctioned compassionate financial assistance the widow/widower becomes ineligible for compassionate financial assistance due to death or otherwise, it shall be payable to the next eligible family member for the remaining period for which necessary documents alongwith a request in the prescribed form for the grant of compassionate financial assistance shall be submitted by the eligible family member to the competent authority. On receipt of request from the eligible family member, the competent authority shall, after examination, sanction the payment of compassionate financial assistance to the eligible family member. Such member shall also be entitled to receive the arrear of compassionate financial assistance, if any, without production of succession certificate. When no next family member is eligible for compassionate financial assistance, the payment shall cease, however, the payment of arrear of compassionate financial assistance, if any, shall be made on the production of succession certificate.

**25.** (1) Where a deceased Government employee is survived only by a judicially separated spouse, the compassionate financial assistance in respect of the deceased shall be payable to the surviving spouse:

Compassionate financial assistance to judicially separated spouse.

Provided that where judicial separation has been granted on the ground of adultery and the death of the Government employee takes place during the period of such judicial separation, the compassionate financial assistance shall not be payable to the person surviving if such person was held guilty of committing adultery.

(2)(a) Where a Government employee dies leaving behind a judicially separated husband or wife with a child or children, the compassionate financial assistance in respect of deceased shall be payable to the surviving person:

Provided he or she is the guardian of such child or children.

Provided further that where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such compassionate financial assistance shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

Subject to the proviso to sub-rule (1), after the child(ren) cease(s) to be eligible for compassionate financial assistance under this rule, such compassionate financial assistance shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased Government employee till his or her death or remarriage, whichever is earlier.

**26.** Where a deceased Government employee is survived by more than one widow, where personal law permits, the compassionate financial assistance shall be payable to the widows in equal shares upto the date of prescribed period or ineligibility, whichever is earlier. When one of them becomes ineligible for compassionate financial assistance, her share of the compassionate financial assistance shall become payable to her eligible child, if any :

Compassionate financial assistance to widows more than one in equal shares.

Provided that if any child of such widow is not eligible for compassionate financial assistance, the share of the compassionate financial assistance shall not lapse but shall be payable to the other widow(s) in equal shares.

*Note.—The provision of this rule shall not be applicable to Hindu Government employee because any second marriage after the commencement of Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 during the lifetime of his first wife is a nullity and have no legal effect. Such second marriage cannot be valid on the ground of any custom. In fact, a custom opposed to an expressed provision of law have no legal effect. So, the second wife shall not be entitled to the compassionate financial assistance as a legally wedded wife.*

**27.** Where a deceased Government employee is survived by a widow but has left behind eligible child(ren) from another wife, who is not alive, the eligible child(ren) shall be paid the share of compassionate financial assistance which the mother would have received, if she had been alive at the time of the death of the Government employee:

Compassionate financial assistance in equal shares to widow and child from another wife.

Provided that when the share of compassionate financial assistance payable to such a child or to a widow ceases to be payable, such share shall not lapse, but shall be payable to the other widow and/or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares.

**28.** Where the deceased Government employee is survived by a widow but has left behind eligible child(ren) from a divorced wife or wives, compassionate financial assistance shall be payable in equal shares:

Compassionate financial assistance in equal shares to widow and child from a divorced wife.

Provided that when the share(s) of compassionate financial assistance payable to a child(ren) of divorced wife or to widow ceases to be payable, such share, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to the other child(ren) otherwise eligible, in equal shares, and thereafter to the next eligible family member.

**29.** (1) Notwithstanding that a marriage which is null and void under section 11 of the Marriage Law (Amendment) Act, 1976, but the child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate irrespective of the fact whether or not—

Compassionate financial assistance to the child of marriage, invalidated under Marriage Law (Amendment) Act, 1976.

- (a) a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this Act;
- (b) the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this Act.

(2) The right of such child is required to be protected and shall accrue after the date of ineligibility of legally wedded wife. The compassionate financial assistance shall be distributed equally among the eligible child of legally wedded wife and the eligible child covered under sub rule (1):

Provided that when the share(s) of compassionate financial assistance payable to such a child ceases, the same shall not lapse but shall be payable to the next eligible child, if there is only one eligible child, in full, to such child, and thereafter to the next eligible family member.

Compassionate financial assistance to twin children.

**30.** Where the compassionate financial assistance is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that when one such child ceases to be eligible his/her share shall be transferred to the other child and when both of them cease to be eligible the compassionate financial assistance shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

Compassionate financial assistance to minor child through natural or de-facto guardian.

**31.** In the event of remarriage or death of the widow/widower, if the compassionate financial assistance is payable to the minor child under these rules, it shall be paid through their natural guardian, if any, otherwise through their de-facto guardian on production of indemnity bond till the minor attains the age of eighteen years. In disputed cases, however, payment shall be made through a legal guardian appointed by the Court of law.

*Note.*— Specimen of indemnity bond is available at Annexure CFA-6

Compassionate financial assistance to a physically disabled child.

**32.** Where the compassionate financial assistance in respect of a deceased Government employee is to be paid to a dependent disabled son or daughter (married or unmarried) who is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled and is unable to earn a livelihood, it shall be regulated as under:—

(1) Where a deceased Government employee is survived by two or more children and one child among them is suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and is unable to earn a living, the compassionate financial assistance shall be initially payable to the one elder/eldest among physically fit children until he/she becomes ineligible for the same. Thereafter, compassionate financial assistance shall be paid to the next physically fit children up to the period of eligibility. When all physically fit children become ineligible for compassionate financial assistance, it shall be resumed in favour of the disabled child and shall be paid to him/her through the guardian as if he/she is a minor except in the case of the physically crippled son/daughter who has attained the age of majority.

(2) Compassionate financial assistance shall be payable on production of medical certificate and subject to the following conditions:-

- (a) he is incapable of earning his livelihood and was fully dependent upon the deceased Government employee;
- (b) person with impairment in functions of the body shall be examined by the Board under the chairmanship of the Civil Surgeon of the District. Board shall include the specialist according to the requirement. The appellant medical board is at Post Graduate Institute of Medical Science, Rohtak. The persons residing in Chandigarh/Panchkula shall also be examined by the Disability Medical Board of General Hospital, Sector -16, Chandigarh and Government Medical College and Hospital, Sector-32, Chandigarh with the appellant Medical Board at Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh;
- (c) the Medical certificate issued by the Medical Board shall be required once in the case of permanent mental or physical disability including mental retardation. Where the disability is temporary, Medical certificate of the medical board shall be required once in every five years to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;

(d) impairment of more than forty percent of any of the following kind shall be entitled for benefits. Disabilities broadly are of four types:-

- (i) Visual;
- (ii) Locomotor;
- (iii) Speech and hearing;
- (iv) Mental disorders.

(3) In the case of mentally retarded child(ren), the compassionate financial assistance shall be payable to a person nominated by the deceased Government employee. Where no such nomination has been furnished to the Head Office by him during his life-time, it shall be payable to the person nominated by the spouse of deceased Government employee later on.

(4) Dependent blind son/unmarried blind daughter shall be entitled to compassionate financial assistance upto the date of eligibility on production of medical certificate of blindness from a Medical Board:

Provided it is evidenced by the medical certificate that the disability of blindness renders him/her incapable of earning. The compassionate financial assistance once sanctioned for dependent blind child shall—

- (a) be discontinued from the date when a blind son of twenty five years or more subsequently is cured and becomes capable of earning or starts earning a living, whichever is the earlier.
- (b) remain continue, when a blind daughter is subsequently cured and becomes capable of earning until—
  - (i) she starts earning a living; or
  - (ii) gets married;
 whichever is earlier.

(5) In case of more than one such child suffering from disorder or disability of mind or who are physically disabled, the compassionate financial assistance shall be paid in the order of their birth and the younger of them shall get the compassionate financial assistance only after the elder next above him/her ceases to be eligible:

Provided that where the compassionate financial assistance is payable to disabled twin children it shall be paid in equal shares:

Provided further that when one such child ceases to be eligible his/her share shall be transferred to the other child and when both of them cease to be eligible, the compassionate financial assistance shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

(6) The compassionate financial assistance under these rules shall be admissible to the eligible disabled child(ren) whether born before or after death.

(7) The person or the guardian who is receiving compassionate financial assistance shall furnish a certificate to the Drawing and Disbursing Officer in the month of January and July every year that the disabled child has not started earning his or her livelihood.

(8) Before sanctioning the compassionate financial assistance for life to any such person, the competent authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him from earning his livelihood and the same should be evidenced by a certificate obtained from a medical board setting out, as far as possible, the exact mental or physically condition of the person.

*Note.— Physically disabled dependent brother and sister, where eligible, shall also be granted compassionate financial assistance subject to medical examination as laid down in this rule for physically disabled children.*

**33.** Where the compassionate financial assistance is payable to the dependent parents, in the first instance, it shall be payable to the mother and on her becoming ineligible it shall be payable to the father up to the date of death, ineligibility or prescribed period, whichever is the earliest. Where dependent parents are living separately, the compassionate financial assistance shall be paid to them in equal share.

Compassionate financial assistance to mother or father of deceased Government employee.

Compassionate financial assistance to the family of a missing Government employee.

**34.** (1) Except as otherwise provided in these rules, the compassionate financial assistance to the eligible family member of a missing Government employee shall be paid after the period of six months reckoned from the date of registration of the First Information Report (FIR) with the Police Authorities. The arrear of compassionate financial assistance shall be paid from the date of missing. The indemnity bond shall also be obtained from the family of missing Government employee.

(2) A Government employee, against whom the departmental or judicial proceedings were instituted while in service, is disappeared, the provision of this rule shall not be applicable. In such cases decision shall be taken after the conclusion of proceedings pending against the missing Government employee.

(3) A Government employee who disappears after committing fraud or crime, the compassionate financial assistance shall be sanctioned only on acquittal by the Court of Law or fully exoneration on conclusion of the departmental proceedings, as the case may be.

No recovery of Government dues from compassionate financial assistance.

**35.** No recovery of Government dues in respect of deceased Government employee shall be made from the compassionate financial assistance.

*Note.— For recovery of Government dues, Licence fee etc. See Chapter 3 and 9 of Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.*

Steps to be taken by the Head of office in case of death of a Government employee.

**36.** (1) On receiving information of death of a Government employee while in service, the Head of Office shall send a letter enclosing the **Form CFA-1** to the family of the deceased and ask for the necessary documents mentioned therein.

(2) On receiving the documents referred to in sub-rule (1) above, the Head Office shall examine thoroughly and send his recommendations to the Head of Department for sanction of compassionate financial assistance, if admissible. The Head of Department after thorough examination shall issue sanction order of compassionate financial assistance to the eligible family member in respect of deceased Government employee upto the prescribed period or eligibility.

Competent authority for sanction of compassionate financial assistance.

**37.** Head of Department shall be the competent authority to sanction the compassionate financial assistance for the family of deceased Government employee of any group. However, in case of Head of office the next higher authority shall be competent for the purpose.

Procedure for payment of compassionate financial assistance.

**38.** After the sanction of compassionate financial assistance by the competent authority, monthly payment shall be made by the Head of Office where the deceased Government employee was posted at the time of death or by the office of any other Head of Office of the same Department anywhere in Haryana opted by the eligible family member, subject to production of necessary documents required from time to time from the family of deceased Government employee. The expenditure shall be charged to the Object Code – “**79-Exgratia**” under the functional major head of the concerned department.

Furnishing of necessary documents.

**39.** (1) The following documents are required to be submitted by the eligible family member with the application form for the purpose of compassionate financial assistance:—

- (i) Application in form CFA-1.
- (ii) Certificate of Income of child and/or parent from all sources.
- (iii) Certificate of marriage or remarriage, in case of female member.
- (iv) Medical certificate of physically disabled child, if any.
- (v) Certificate of no judicial proceedings in respect of a criminal case are pending against him/her in any Court of law.

(2) The eligible family member in receipt of compassionate financial assistance shall have to appear personally or furnish life certificate and income certificate duly attested by any gazetted officer or village Sarpanch or Municipal Councillor of the area of his residence to the concerned Head of office once in every six months.

- 40.** (1) As soon as a person joins Government service on regular basis, he shall give details of his family in Form CFA-4 to the Head of Office. If he has no family at the time of joining, he shall furnish the details in Form CFA-4 as soon as he acquires a family. Furnishing the size of family on joining and from time to time.
- (2) The Government employee shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of the family, including the fact of marriage of female child.
- (3) The Head of Office shall, on receipt of the said Form CFA-4 get it pasted on the service book of the Government employee concerned and acknowledge receipt of the said Form CFA-4 and all further communications received from the Government employee in this behalf. On receipt of communication from the Government employee regarding any change in the size of his family, the Head of Office shall have such a change incorporated in Form CFA-4.
- (4) As and when the disability manifests itself in a child which makes him/her unable to earn his/her living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a medical certificate issued by the board. The Head of Office shall indicate this in Form CFA-4.
- 41.** Unless the Government by general or special order otherwise directs, compassionate financial assistance undrawn/unclaimed for a period over one year shall cease to be payable by the disbursing officer. If the claimant afterwards appears or a claim is presented on his behalf, the Head of Department shall revalidate the claim along with arrears of compassionate financial assistance after satisfying himself about the circumstances of the lapse. Claims submitted after a lapse of three years shall be considered by the Administrative Department in consultation with General Administration Department. Lapses and forfeiture of compassionate financial assistance.
- 42.** The power to interpret, change, amend, and relax and removal of doubt of these rules shall lie with the Government. Power to interpret, amend, relax and removal of doubt.
- Note 1.— Communications regarding the interpretation and alteration of these rules should be addressed to the General Administration Department through the Administrative Department concerned.*
- Note 2.— Where the Government in the General Administration Department is satisfied that the operation of any of these rules regulating the conditions of service of Government employees, causes undue hardship in any particular case, it may by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.*
- 43.** (1) The Haryana Compassionate Assistance to the Dependents of Deceased Government Employees Rules, 2006, are hereby repealed. Repeal and Savings.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done or action taken shall be deemed to have been done or taken under these rules.

<b>Form CFA-1</b> (see rule 5 and 36)		
<b>Application for Compassionate Financial Assistance</b>		
1	Name :	
2	Date of Birth :	
3	Date of joining on regular basis of deceased employee/disappeared Government employee:	
4	Date of death/disappearance alongwith copy of death certificate or First Information Report (FIR)	
5	Designation/Post last held :	
6	Last drawn Basic Pay :	
<b>Full information of Family Member eligible for compassionate financial assistance :</b>		
		Paste passport size attested photo of family member eligible for compassionate financial assistance
7	Name :	
8	Permanent Address :	
9	Corresponding Address :	
10	Relation with the deceased/disappeared Government employee :	
11	Branch of concerned Department at Tehsil or District Level selected for payment of compassionate financial assistance.	
12	Name of the Bank Bank Account No. IFSC Code Branch Address	
13	Detailed information regarding dependents of deceased/disappeared Government employee	

Serial Number	Name	Relation	Date of Birth	Proof of Date of Birth	Monthly Income from any source	Married/ Unmarried	Aadhar No.
1							
2							
3							
4							
5							
14	Any other information						
Place: Date: <span style="float: right;">Signature of the applicant</span>							
<b>To be furnished by the Head of Office</b>							
Comments regarding eligibility of compassionate financial assistance :							
Place: Date: <span style="float: right;">Signature of the Head of Office</span>							

\*\*\*\*\*



	(a)	Widow/Husband	
	(b)	Son (unmarried)	
	(c)	Unmarried daughters	
	(d)	Mother/Father dependent on the deceased/missing Government employee.	
8.	General Financial position of the family (this information is to be given in affidavit proforma.).		
9.	Member of the deceased/missing Government employee's family who opts for Government service. His educational qualifications and other information.		
10.	Any another related information, if any.		
11.	If the job is given under the scheme, an affidavit is to be enclosed by other family members that they shall not claim further appointment under this scheme.		

Place : \_\_\_\_\_

Signature of the applicant and address.

Date : \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**Form CFA-3***(see rule-20)****Application for appointment under rule 20 for one of the dependent family member of Martyred Government employee.***

1.	<b>Name of Martyred :</b>						
2.	<b>Department :</b>						
3.	<b>Date of Martyr in certificate</b>						
4.	<b>Full information of applicant</b>						
	<b>(i) Name</b>						
	<b>(ii) Full Address</b>						
	<b>(iii) Relation with Martyred</b>						
5.	<b>Information of family of Martyred</b>						
	<b>Name</b>	<b>Age</b>	<b>Relation</b>	<b>Moveable/ Immovable Property</b>	<b>Income</b>	<b>Any other Information</b>	
6.	<b>Educational Qualification and other Information of dependent family member of Martyred and his wife/ dependent interested in Government service.</b>						
7.	<b>If any employment under this scheme is to be given to person other than wife then 'no objection certificate' from other dependent member is to be attached.</b>						

Date: \_\_\_\_\_

Signature of Applicant \_\_\_\_\_

Full Address \_\_\_\_\_

**Form CFA-4***(see rule 40)***Details of Family for Compassionate Financial Assistance or Appointment**

Name of the Government employee						
Designation						
Date of birth						
Date of appointment on regular basis						
Details of the members of my family as on						
Serial Number	Name of the member of family	Date of birth	Relationship with the Government employee	Monthly income, if any	Aadhar No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

Place: \_\_\_\_\_

Signature of Government employee

Dated : \_\_\_\_\_

Countersigned

Signature of Head of office

(with date and stamp of Office)

\*\*\*\*\*

**Form CFA-5***(see rule 11)***Affidavit regarding Declaration**

I, \_\_\_\_\_ w/o, h/o, s/o, d/o \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ resident \_\_\_\_\_ of  
 \_\_\_\_\_, do hereby solemnly affirm and declare as  
 under: -

(1) I shall maintain properly the other family members who were dependent on the deceased/missing Government employee mentioned in the form enclosed herewith and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

(2) That the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.

Place : \_\_\_\_\_

DEPONENT

Dated : \_\_\_\_\_

**Verification:**

Verified that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein

Place : \_\_\_\_\_

DEPONENT

Dated : \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**Form CFA-6**  
**INDEMNITY BOND**

(see rule 31)

(To be furnished by the de facto guardian of minor eligible family member of deceased or missing Government employee)

KNOW ALL MEN by these presents that we (a).....  
(b).....the widow/son/brother, etc., of  
(c).....deceased/missing Government employee, resident of  
.....of  
..... and ..... son/wife/daughter of  
.....resident of  
.....the sureties  
for and on behalf of the Obligor (hereinafter called "the Sureties") are held firmly bound to the Governor of Haryana (hereinafter called " the Government" ) in the sum of Rs.....  
(Rupees.....only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur together with simple interest at the rate prescribed by Government for General Provident Fund from the date of payment until repayment is made, we bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this .....day of .....two thousand and .....

WHEREAS (c).....was at the time of his disappearance in the employment of the Government/receiving a Compassionate Financial Assistance at the rate of Rs.....  
(Rupees.....only) per month from the Government.

AND WHEREAS the said (c).....disappeared on the .....day of  
..... 20..... and a sum of Rs..... (Rupees  
..... only) per month is to be paid towards compassionate financial assistance to his family members.

AND WHEREAS the Government has no objection to the payment of the said sum to the Obligor but under Government Rules and Orders, it is necessary for the Obligor to first execute a bond with one surety/two sureties to indemnify the Government against all claims to the amount so due as aforesaid to the said (c).....before the said sum can be paid to the Obligor.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the surety/sureties have agreed to execute the bond in the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and/or the surety/sureties shall in the event of a claim being made by any other person against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs.....refund to the Government the said sum of Rs.....and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities in respect of the aforesaid sum and all costs incurred in consequence of the claim thereto THEN the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the surety/sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties, shall but for this provision have the effect of so relating the surety/sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the surety/sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the surety/sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above written.

Signed by the above named 'Obligor' in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Signed by the above named 'Surety'/ 'Sureties'

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Accepted for and on behalf of the  
Governor of Haryana by

\_\_\_\_\_  
(Name and designation of the Officer directed or  
authorized to accept the Bond for and on behalf of the  
Governor of Haryana)

in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
(Name and designation of witness)

**NOTE 1.—**

- (a) Full name of the claimant referred to as the 'Obligor'.
- (b) State relationship of the Obligor to the deceased.
- (c) Name of the deceased Government Officer.
- (d) Full name or names of the sureties with name or names of the father(s)/husband(s) and place of residence.
- (e) Designation of the officer responsible for payment.

**NOTE 2.—** The Obligor as well as the Sureties shall have attained majority so that the bond may have legal effect or force.

\*\*\*\*\*

**INDEMNITY BOND***(See rule 34)**(To be furnished by the eligible family member in case of missing Government employee)*

KNOW ALL MEN by these presents that we (a)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 (b)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ the widow/son/brother/nominee, etc., of  
 (c)<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ who was working as \_\_\_\_\_ (Designation) in the  
 \_\_\_\_\_ Department/Office is reported to have been missing since  
 \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as 'missing Government employee' resident of  
 \_\_\_\_\_ (hereinafter called "the Obligor") and  
 (d)<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ (Son/wife/daughter) of Shri \_\_\_\_\_  
 resident of \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_  
 son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ the Sureties for and on behalf of the Obligor (hereinafter called  
 "the Sureties") are held firmly bound to the Governor of Haryana (hereinafter called "the Government") equivalent to  
 the amount received on account of payment of Compassionate Financial Assistance well and truly to be paid to the  
 Government, on demand and without a demur together with simple interest at the rate prescribed by Government for  
 General Provident Fund from the date of payment until repayment is made, we bind ourselves and our respective  
 heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this \_\_\_\_\_ day of two thousand and  
 \_\_\_\_\_.

WHEREAS (c) \_\_\_\_\_ was, at the time of his disappearance, a  
 Haryana Government employee receiving pay and allowances from the Government.

AND WHEREAS the said (c) \_\_\_\_\_ disappeared on the \_\_\_\_\_  
 day of \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ and there was due to him at the time of his disappearance the sum  
 equivalent to the amount on account of payment of arrear of pay and allowances.

AND WHEREAS the Obligor is entitled to COMPASSIONATE FINANCIAL ASSISTANCE of Rs.  
 \_\_\_\_\_ plus compensatory allowances admissible under the rules.

AND WHEREAS the Obligor has represented that he/she is entitled to the aforesaid sum and approached the  
 Government for making payment thereof to avoid undue delay and hardship.

AND WHEREAS the Government has agreed to make payment of the said sum of Rs. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (in words) as arrear of pay and allowances plus monthly  
 COMPASSIONATE FINANCIAL ASSISTANCE to the Obligor upon the Obligor and the Sureties entering into a  
 Bond in the above mentioned sum to indemnify the Government against all claims to the amount so due to the  
 aforesaid missing Government employee.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety/Sureties have agreed to execute the Bond in  
 the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that, if after payment has been made to the Obligor, the  
 Obligor and/or the Surety/Sureties shall in the event of a claim being made, by any other person or the missing  
 Government employee on appearance, against the Government with respect to the aforesaid sum of Rupees  
 \_\_\_\_\_ (in words) and the sums paid by the  
 Government as aforesaid then refund to the Government the said sum of Rupees \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (in words) and each and every sum paid  
 by Government as COMPASSIONATE FINANCIAL ASSISTANCE together with simple interest equal to the rate of  
 General Provident Fund and shall, otherwise, indemnify and keep the Government harmless and indemnified against  
 and from all liabilities in respect of the aforesaid sums and all costs incurred in consequence of the claim thereto  
 THEN the above-written Bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force,  
 effect and virtue.

<sup>1</sup>(a) Full name of the claimant referred to as the 'Obligor'

<sup>2</sup>(b) State relationship of the 'Obligor' to the 'missing Government employee'

<sup>3</sup>(c) Name of the 'missing Government employee'

<sup>4</sup>(d) Full name or names of the sureties with name or names of the father(s)/ husband(s) and place of residence

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the Surety/ Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason or time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision shall have no effect of so releasing the Surety/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above-written.

Signed by the above named 'Obligor' in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Signed by the above named 'Surety'/ 'Sureties'

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Accepted for and on behalf of the  
Governor of Haryana by

\_\_\_\_\_  
(Name and designation of the Officer directed or  
authorized to accept the Bond for and on behalf of the  
Governor of Haryana)

in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

*(Name and designation of witness)*

**Note.**— *The Obligor as well as the Sureties shall have attained majority so that the bond may have legal effect or force.*

\*\*\*\*\*

KESHNI ANAND ARORA,  
Chief Secretary to Government, Haryana.